

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 जनवरी 2011—पौष 24, शक 1932

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2010

क्र. ई. 5-674-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्री एस.के. मिश्रा, आयएस, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री को दिनांक 27 दिसम्बर 2010 से 7 जनवरी 2011 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 25, 26 दिसम्बर 2010 एवं 8, 9 जनवरी 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस.के. मिश्रा, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज

विकास निगम एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा सचिव मुख्यमंत्री के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री एस.के. मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस.के. मिश्रा, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2010

क्र. ई-5-720-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री गुलशन बामरा, आयएस, कलेक्टर, जिला जबलपुर को दिनांक 24 दिसम्बर 2010 से 7 जनवरी 2011 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 8, 9 जनवरी 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री गुलशन बामरा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री गुलशन बामरा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गुलशन बामरा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2010

क्र. एफ-3-5-2010-एक-4.—राज्य शासन, एतद्वारा नगरीय निकायों के उप निर्वाचन 2010-11 (उत्तरार्द्ध) के लिये नगर पंचायत, हरपालपुर, जिला छतरपुर के अध्यक्ष पद के उप निर्वाचन हेतु मतदान दिनांक 6 जनवरी 2011, गुरुवार को जिले के संबंधित नगरीय क्षेत्र में सामान्य अवकाश घोषित करता है।

(2) उक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्र के लिये पराक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है।

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2010

क्र. एफ-3-5-2010-एक-4.—राज्य शासन, एतद्वारा पंचायतों के आम/उप निर्वाचन 2010-11 (उत्तरार्द्ध) हेतु रीवा जिले की जनपद पंचायत, रायपुर कर्चुलियान के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-19 तथा सतना जिले की जनपद पंचायत, रामनगर की ग्राम पंचायत, नादों के सरपंच पद के उप निर्वाचन हेतु मतदान दिनांक 3 जनवरी 2011, सोमवार को जिलों के संबंधित क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित करता है।

(2) उक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्रों के लिये पराक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है।

क्र. एफ. 13-06-2010-एक-4.—श्री संजय कुमार मिश्र, राज्य शिष्टाचार अधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 24 दिसम्बर 2010 से 4 जनवरी 2011 तक कुल (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री संजय कुमार मिश्र, राज्य शिष्टाचार अधिकारी को वेतन एवं भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय कुमार मिश्र राज्य शिष्टाचार अधिकारी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

(4) श्री संजय कुमार मिश्र, राज्य शिष्टाचार अधिकारी की अवकाश अवधि में राज्य शिष्टाचार अधिकारी के पद का अतिरिक्त प्रभार श्री संजय सिंह चौहान, सत्कार अधिकारी को सौंपा जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दशरथ कुमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2010

क्र. ई. 5-290-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री एम.के. राय, आयएएस, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 दिसम्बर 2010 द्वारा दिनांक 27 दिसम्बर 2010 से 1 जनवरी 2011 तक छः दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

क्र. ई. 5-483-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री के.के. सिंह, आयएएस, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग को दिनांक 15 से 16 दिसम्बर 2010 तक दो दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री के.के. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री के. के. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के.के. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई. 5-481-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री इकबाल सिंह बैस, आयएएस, महानिदेशक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एफको) को दिनांक 14 से 16 दिसम्बर 2010 तक तीन दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री इकबाल सिंह बैस को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एफ्को) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री इकबाल सिंह बैस को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री इकबाल सिंह बैस, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई. 5-291-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री ओ.पी. रावत, आयएस, उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13 अक्टूबर 2010 द्वारा दिनांक 4 से 16 दिसम्बर 2010 तक तेरह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुये अब उन्हें दिनांक 4 से 14 दिसम्बर 2010 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13 अक्टूबर 2010 की शेष कंडिकायें यथावत् रहेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव।

सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 जनवरी 2011

क्र. एफ. 11-36-06-सूअप्र-एक-9.—राज्य शासन, एतद्द्वारा माननीय श्री पद्मपाणि तिवारी, मुख्य सूचना आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल को दिनांक 16 दिसम्बर 2010 का आकस्मिक अवकाश के साथ दिनांक 16 से 19 दिसम्बर 2010 तक कुल चार दिवस की एल.टी.सी. पर यात्रा हेतु अनुमति प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अकीला हशमत, उपसचिव।

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2010

क्र. एफ-3-5-2010-एक-4.—राज्य शासन, एतद्द्वारा पंचायतों के आम/ उप निर्वाचन 2010 (उत्तरार्द्ध) हेतु आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम (प्रति संलग्न) अनुसार मतदान दिनांक 21 दिसम्बर 2010 मंगलवार को जिले के संबंधित क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित करता है।

(2) उक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्रों के लिये पराक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. वर्मा, अतिरिक्त सचिव।

त्रि-स्तरीय पंचायतों में स्थानों (रिक्त) पदों की जानकारी त्रैमास सितम्बर 2010
(जिलों से पत्रकों एवं दूरभाष पर प्राप्त जानकारी के अनुसार रिक्तियों की संख्या)

जिला	प्राप्त/अप्राप्त	जिला पंचायत			जनपद पंचायत			ग्राम पंचायत			आम निर्वाचन	
		अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	सदस्य	अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	सदस्य	सरपंच	उपसरपंच	पंच	सरपंच	पंच
1. मुरैना		-	-	-	-	-	1	-	1	13	-	-
2. श्योपुर		-	-	-	-	-	-	1	-	30	-	-

जिला	प्राप्त/अप्राप्त	जिला पंचायत			जनपद पंचायत			ग्राम पंचायत			आम निर्वाचन	
		अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	सदस्य	अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	सदस्य	सरपंच	उपसरपंच	पंच	सरपंच	पंच
3. भिण्ड		-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-
4. ग्वालियर		-	-	-	-	-	-	1	-	15	-	-
5. शिवपुरी		-	-	-	-	-	-	6	-	43	-	-
6. दतिया		-	-	-	-	-	-	2	-	15	-	-
7. गुना		-	-	-	-	-	1	-	-	9	-	-
8. अशोकनगर		-	-	-	-	-	-	1	-	13	-	-
9. मंदसौर		-	-	-	-	-	-	3	1	15	-	-
10. नीमच		-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-
11. रतलाम		-	-	-	-	-	-	3	-	21	-	-
12. शाजापुर		-	-	-	-	-	-	2	1	11	-	-
13. उज्जैन		-	-	2	-	-	-	10	2	97	-	-
14. देवास		-	-	-	-	-	-	3	-	33	-	-
15. राजगढ़		-	-	-	-	-	-	1	7	40	-	-
16. सीहोर		-	-	-	-	-	-	-	2	13	-	-
17. विदिशा		-	-	-	-	-	-	7	-	56	-	-
18. भोपाल		-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-
19. रायसेन		-	-	-	-	-	-	5	-	83	-	-
20. बैतूल		-	-	-	-	-	-	7	-	114	-	-
21. होशंगाबाद		-	-	-	-	-	-	1	2	4	-	-
22. हरदा		-	-	-	-	-	-	1	2	23	-	-
23. झाबुआ		-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-
24. अलीराजपुर		-	-	-	-	-	-	1	-	7	-	-
25. इन्दौर		-	-	-	-	-	-	1	-	14	-	-
26. धार		-	-	-	-	1	-	6	5	53	-	-
27. खरगौन		-	-	-	-	-	-	2	1	75	-	-
28. बड़वानी		-	-	-	-	-	-	1	4	11	-	-
29. खण्डवा		-	-	-	-	-	-	1	1	20	-	-
30. बुरहानपुर		-	-	-	-	-	-	4	-	39	-	-

जिला	प्राप्त/अप्राप्त	जिला पंचायत			जनपद पंचायत			ग्राम पंचायत			आम निर्वाचन	
		अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	सदस्य	अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	सदस्य	सरपंच	उपसरपंच	पंच	सरपंच	पंच
31. टीकमगढ़		-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-
32. पन्ना		-	-	-	-	-	-	5	-	29	-	-
33. छतरपुर		-	-	1	-	-	1	-	5	39	-	-
34. सागर		-	-	-	-	-	-	3	3	29	-	-
35. दमोह		-	-	-	-	-	-	2	-	45	-	-
36. जबलपुर		-	-	-	-	-	-	2	-	24	-	-
37. कटनी		-	-	-	-	-	-	1	-	11	-	-
38. नरसिंहपुर		-	-	-	-	-	-	1	-	11	-	-
39. छिन्दवाड़ा		-	-	-	-	-	-	5	-	49	-	-
40. सिवनी		-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-
41. मण्डला		-	-	-	-	-	-	0	-	28	-	-
42. डिण्डौरी		-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
43. बालाघाट		-	-	-	-	-	-	0	-	8	-	-
44. रीवा		-	-	-	-	-	1	1	1	35	-	-
45. सतना		-	-	-	-	-	-	5	-	20	-	-
46. शहडोल		-	-	-	-	-	1	-	-	12	-	-
47. अनूपपुर		-	-	-	-	-	-	2	-	8	-	-
48. उमरिया		-	-	-	-	-	-	1	2	4	-	-
49. सीधी		-	-	-	-	-	-	2	-	22	-	-
50. सिंगरौली		-	-	-	-	-	-	1	-	10	-	-

परिशिष्ट-एक

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58-अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) 462011

आदेश

भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2010

क्र. एफ-37-07-2010-तीन-2937.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा धारा 9 (2)(क) एवं मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 28 की अपेक्षा अनुसार राज्य निर्वाचन

आयोग एतद्द्वारा पंचायतों में 30-9-2010 तक रिक्त हुए पदों की पूर्ति हेतु तथा नवगठित पंचायतों एवं उन पंचायतों जिनका कार्यकाल पूर्ण हो रहा है के आम/ उप निर्वाचन, 2010 (उत्तरार्द्ध) निर्वाचन निम्नानुसार समय अनुसूची (कार्यक्रम) विहित करता है:—

क्र. (1)	कार्यवाही (2)	नियम (3)	निर्धारित तारीख (4)	दिन और समय (5)
1	(i) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करना.	28	1-12-2010	प्रातः 10.30 बजे से (बुधवार)
	(ii) स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन.	29-क	----- उपरोक्तानुसार -----	
	(iii) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन	23	----- उपरोक्तानुसार -----	
2	नाम-निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की आखरी तारीख	28(क)	8-12-2010	अपराह्न 3.00 बजे तक (बुधवार)
3	नाम-निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा (जांच)	28(ख)	9-12-2010	प्रातः 10.30 बजे से (गुरुवार)
4	अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की आखरी तारीख	28(ग)	11-12-2010	अपराह्न 3.00 बजे तक (शनिवार)
5	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन.	38, 39	11-12-2010	अभ्यर्थिता वापसी के ठीक बाद (शनिवार).
6	मतदान (यदि आवश्यक हो)	28(घ)	21-12-2010	प्रातः 8.00 बजे से 3.00 बजे तक (मंगलवार).
7	मतगणना	-	21-12-2010	मतदान केन्द्रों पर मतदान के तुरन्त पश्चात् (मंगलवार).
8	सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा			
	(i) पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य के मामले में		23-12-2010	खण्ड मुख्यालय पर प्रातः 9.00 बजे से (मतों के सारणीकरण के तत्काल बाद) (गुरुवार).
	(ii) जिला पंचायत सदस्य के मामले में	-	24-12-2010	जिला मुख्यालय पर प्रातः 10.30 बजे से (शुक्रवार).

रजनी उड़के,

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2010

क्र. एफ-3-1-2010-एक-4.—राज्य शासन, एतद्द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन, 2010-11 हेतु आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम (प्रति संलग्न) अनुसार मतदान दिनांक 6 जनवरी 2011 गुरुवार को जिले के संबंधित नगरीय क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित करता है.

(2) उक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्रों के लिये पराक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दशरथ कुमार, उपसचिव.

परिशिष्ट-एक

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
 “निर्वाचन भवन”
 58-अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) 462011
 आदेश

भोपाल, दिनांक 15 दिसम्बर 2010

क्र. एफ-53-06-2010-तीन-3002.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा धारा 36 एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम, 21 की अपेक्षानुसार राज्य निर्वाचन आयोग एतद्वारा नगरपालिका परिषद्, मंदसौर, जिला मंदसौर, नगरपालिका परिषद्, शाजापुर, जिला शाजापुर, नगरपालिका परिषद्, सीहोर, जिला सीहोर, नगर पंचायत, ओरछा, जिला टीकमगढ़ एवं नगर पंचायत, भेड़ाघाट, जिला जबलपुर के आम निर्वाचन तथा नवगठित नगर पंचायत शाहगंज, जिला सीहोर एवं नगर पंचायत मझौली, जिला सीधी के प्रथम आम निर्वाचन 2010-11 हेतु निम्नानुसार समय अनुसूची (कार्यक्रम) विहित करता है:—

क्र.	कार्यवाही	संबंधित नियम	निर्धारित तारीख	समय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	(i) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम-निर्देशन-पत्र प्राप्त करना.	21, 22	16-12-2010 (गुरुवार)	प्रातः 10.30 बजे से
	(ii) स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन.	22 “क”	— उपरोक्तानुसार —	—
	(iii) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन	16	— उपरोक्तानुसार —	—
2	नाम-निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख	21(क)	23-12-2010 (गुरुवार)	अपराह्न 3.00 बजे तक
3	नाम-निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा (जांच)	21(ख)	24-12-2010 (शुक्रवार)	प्रातः 10.30 बजे से
4	अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख	21(ग)	27-12-2010 (सोमवार)	अपराह्न 3.00 बजे तक
5	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन	30, 31	27-12-2010 (सोमवार)	अभ्यर्थिता की वापसी के बाद से
6	मतदान (यदि आवश्यक हो)	21(घ)	6-1-2011 (गुरुवार)	प्रातः 8.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक.
7	मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा	21(ङ)	8-1-2011 (शनिवार)	प्रातः 9.00 बजे से

रजनी उड़के,

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर 2010

क्र. एफ-1-5-92-सात-9(7)-नजूल.—नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 (क्रमांक 33, सन् 1976) की धारा 2 के खण्ड (डी) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन नीचे दी गई सूची के कालम (2) में वर्णित अधिकारी को उक्त सूची के कालम (3) की प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट नगर बस्ती समूह के लिए नगर भूमि सीमा (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999 की धारा 3 व 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनु. क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	नगर बस्ती समूह (3)
1	श्रीमती मंगला भालेराव (अपर कलेक्टर)	उज्जैन

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. रजक, अवर सचिव.

जेल विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2010

क्र. एफ-3-15-2009-तीन.—राज्य शासन, एतद्वारा इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3-16-2006-3-जेल, दिनांक 6 जनवरी 2007 को निरस्त करते हुए, मध्यप्रदेश बंदी परिवीक्षाधीन सम्मोचन अधिनियम, 1954 एवं तदाधीन निर्मित नियम, 1964 के नियम 6 के उप नियम (5) के अन्तर्गत राज्य परिवीक्षा मण्डल का पुनर्गठित कर श्री विभीषण सिंह, भोपाल को राज्य परिवीक्षा मण्डल का अशासकीय सदस्य नियुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. पीटर, उपसचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 जनवरी 2011

क्र. एफ-1(ए) 148-95-ब-2-दो.—(1) श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, चंबल रेंज, मुरैना को दिनांक

27 दिसम्बर 2010 से 1 जनवरी 2011 तक कुल छः दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 25, 26 दिसम्बर 2010 एवं 2 जनवरी 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री डी. पी. गुप्ता, की अवकाश अवधि में श्री गौरव राजपूत, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, मुरैना को वर्तमान कार्य के साथ-साथ, उप पुलिस महानिरीक्षक, चंबल रेंज, मुरैना का कार्यभार अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, चंबल रेंज, मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे द्वारा उप पुलिस महानिरीक्षक, चंबल रेंज, मुरैना का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री गौरव राजपूत, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, मुरैना अतिरिक्त कार्यभार से स्वमेव मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री डी. पी. गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते हैं तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे।

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2011

क्र. एफ-1(ए) 120-93-ब-2-दो.—(1) श्री के. बाबूराव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (शिकायत), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 15 से 27 नवम्बर 2010 तक कुल तेरह दिवस के अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति दिनांक 13, 14 एवं 28 नवम्बर 2010 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. बाबूराव, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (शिकायत) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री के. बाबूराव भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. बाबूराव, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2011

क्र. एफ-1(ए) 89-99-ब-2-दो.—(1) श्री सी. एस. मालवीय, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक पी.टी.आर.आई., पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 1 से 31 अक्टूबर 2010 तक कुल इक्कीस दिवस के लघुकृत अवकाश की कार्योंत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सी. एस. मालवीय, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक पुलिस महानिरीक्षक पी.टी.आर.आई., पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री सी. एस. मालवीय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सी. एस. मालवीय, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक दास, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2011

क्र. एफ-1(ए) 393-88-ब-2-दो.—(1) श्री आर. के. मिश्रा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, राज्य सायबर पुलिस, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को पुलिस मुख्यालय के आदेश क्र. डीजीपी-15973-09, दिनांक 30 नवम्बर 2009 द्वारा दिनांक 5 दिसम्बर 2009 से 1 जनवरी 2010 की अवधि में स्वीकृत आकस्मिक एवं ऐच्छिक अवकाश स्वीकृति संबंधी आदेश राज्य शासन द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) श्री आर. के. मिश्रा, भापुसे को दिनांक 21 दिसम्बर 2009 से 1 जनवरी 2010 तक कुल बारह दिवस का अर्जित अवकाश, दिनांक 20 दिसम्बर 2009 के विज्ञप्त अवकाश के साथ कार्योंत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुये उक्त अवधि में राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2006-09 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2008-09 के विस्तार वर्ष 2010 में गृह नगर भुवनेश्वर जाने की अवकाश यात्रा सुविधा की पात्रता के तहत अवकाश यात्रा पर जाने की कार्योंत्तर अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि श्री मिश्रा भविष्य में अवकाश एवं अवकाश यात्रा की सक्षम स्तर से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही अवकाश अथवा अवकाश यात्रा पर प्रस्थान करना सुनिश्चित करेंगे।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. मिश्रा, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक,

राज्य सायबर पुलिस, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) अवकाश काल में श्री आर. के. मिश्रा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. मिश्रा, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते हैं तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए) 393-88-ब-2-दो.—(1) श्री आर. के. मिश्रा, भापुसे, को दिनांक 27 दिसम्बर 2010 से 7 जनवरी 2011 तक कुल बारह दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 25, 26 दिसम्बर 2010 एवं 8, 9 जनवरी 2011 के विज्ञप्त अवकाश के साथ स्वीकृत करते हुये उक्त अवधि में राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 में गृह नगर “भुवनेश्वर, (उड़ीसा)” जाने की अवकाश यात्रा सुविधा की पात्रता के तहत अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री मिश्रा का कार्यदायित्व श्री के.एन. तिवारी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि. पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. मिश्रा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, राज्य सायबर पुलिस, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री मिश्रा, द्वारा अवकाश से लौटने पर पुलिस महानिरीक्षक, राज्य सायबर पुलिस, पुलिस मुख्यालय, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव उक्त पद के कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री आर.के. मिश्रा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर.के. मिश्रा, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते हैं तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए) 308-79-ब-2-दो.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 दिसम्बर 2010 द्वारा श्री रमेश शर्मा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (यो./प्र.) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 23 दिसम्बर 2010 से 3 जनवरी 2011 तक कुल बारह दिवस के स्वीकृत अर्जित अवकाश की अवधि में राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2006-09 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2008-09 के

विस्तार वर्ष 2010 में भारत में कहीं भी भ्रमण की अवकाश यात्रा सुविधा की पात्रता के तहत सपरिवार "पुणे (महाराष्ट्र)" परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है:—

1. श्री रमेश शर्मा - स्वयं
2. श्रीमती नीता शर्मा - पत्नी

(2) उक्त आदेश दिनांक 22 दिसम्बर 2010 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी.

क्र. एफ 1(ए) 145-90-ब-2-दो.—श्री अरविन्द कुमार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर जोन, ग्वालियर को दिनांक 27 से 28 दिसम्बर 2010 के दो दिवस के आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 25, 26 दिसम्बर 2010 के विज्ञप्त अवकाश की अवधि में राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2006-09 के द्वितीय ब्लॉक वर्ष 2008-09 के विस्तार वर्ष 2010 में भारत में कहीं भी भ्रमण की पात्रता के तहत सपरिवार "शिमला, हिमाचल प्रदेश" परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है:—

1. श्री अरविन्द कुमार - स्वयं
2. श्रीमती संदीप कौर - पत्नी
3. कबीर कुमार - पुत्र

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री अरविन्द कुमार, भापुसे को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अरविन्द कुमार, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर जोन, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) अवकाश काल में श्री अरविन्द कुमार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरविन्द कुमार, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए) 36-91-ब-2-दो.—श्री यू.आर. नेताम, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, आर.ए.पी.टी.सी., इन्दौर को दिनांक 27 दिसम्बर 2010 से 4 जनवरी 2011 तक कुल नौ दिवस का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 25, 26 दिसम्बर 2010 के विज्ञप्त अवकाश की अवधि में राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2006-09 के द्वितीय ब्लॉक वर्ष 2008-09 के विस्तार वर्ष 2010 में गृह नगर अवकाश

यात्रा के बदले में, उत्तर पूर्वी राज्यों की यात्रा की परिवर्तित अवकाश यात्रा सुविधा की पात्रता के तहत सपरिवार "गंगटोक (सिक्किम)" परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है:—

1. श्री यू.आर. नेताम - स्वयं
2. श्रीमती रंजना नेताम - पत्नी
3. श्री अभिषेक - पुत्र
4. कु. प्रियंका - पुत्री

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री यू.आर. नेताम, भापुसे को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

(3) उक्त अवकाश अवधि में श्री यू.आर. नेताम, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, आर.ए.पी.टी.सी., इंदौर का कार्य श्री एन.एस. कंवर, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक अग्निशमन, इंदौर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री यू.आर. नेताम, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, आर.ए.पी.टी.सी., इंदौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5) श्री यू.आर. नेताम, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, आर.ए.पी.टी.सी., इंदौर का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (3) में अतिरिक्त कार्यभार संपादन करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(6) अवकाश काल में श्री यू.आर. नेताम, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री यू.आर. नेताम, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए) 169-97-ब-2-दो.—श्री योगेश चौधरी, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, भोपाल को दिनांक 24 दिसम्बर 2010 के एक दिवस के आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 25, 26 दिसम्बर 2010 के विज्ञप्त अवकाश की अवधि में राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2006-09 के द्वितीय ब्लॉक वर्ष 2008-09 के विस्तार वर्ष 2010 में गृह नगर भ्रमण की पात्रता के तहत सपरिवार गृह नगर "इंदौर, म.प्र." परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है:—

1. श्री योगेश चौधरी - स्वयं
2. श्रीमती सोनल - पत्नी

3. कु. अदिती - पुत्री
4. कु. अनन्या - पुत्री

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री योगेश चौधरी, भापुसे को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

(3) उक्त अवकाश अवधि में श्री योगेश चौधरी, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, भोपाल का कार्य श्री अभय सिंह, भापुसे, पुलिस अधीक्षक (उत्तर) भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री योगेश चौधरी, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5) श्री योगेश चौधरी, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (3) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(6) अवकाश काल में श्री योगेश चौधरी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री योगेश चौधरी, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2011

क्र. एफ 1(ए) 172-97-ब-2-दो.—श्री मोहम्मद शाहिद अबसार, भापुसे, सेनानी, 25वीं वाहिनी, विसबल, भोपाल को पु.मु. के आदेश क्र.-78, दिनांक 16 दिसम्बर 2010 द्वारा दिनांक 27 से 31 दिसम्बर 2010 तक कुल पांच दिवस की स्वीकृत अर्जित अवकाश अवधि में राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2006-09 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2008-09 के विस्तार वर्ष 2010 में भारत में कहीं भी भ्रमण की अवकाश यात्रा सुविधा की पात्रता के तहत सपरिवार "बैंगलोर (कर्नाटक)" परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है:—

1. श्री मोहम्मद शाहिद अबसार - स्वयं
2. श्रीमती शबाना अबसार - पत्नी
3. कु. नोया अबसार - पुत्री

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री मोहम्मद शाहिद अबसार, भापुसे, सेनानी 25वीं वाहिनी, विसबल, भोपाल का कार्य श्री एस.के. मार्टिन, उप सेनानी, 25वीं वाहिनी, विसबल, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद शाहिद अबसार, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न सेनानी, 25वीं वाहिनी, विसबल, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री मोहम्मद शाहिद अबसार, भापुसे, सेनानी, 25वीं वाहिनी, विसबल, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाश काल में श्री मोहम्मद शाहिद अबसार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मोहम्मद शाहिद अबसार, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए) 391-88-ब-2-दो.—श्री विजय यादव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, (मुख्यालय), भोपाल को दिनांक 27 दिसम्बर 2010 से 7 जनवरी 2011 तक कुल बारह दिवस के अर्जित अवकाश एवं दिनांक 25, 26 दिसम्बर 2010 एवं 8, 9 जनवरी 2011 के विज्ञप्त अवकाश के साथ स्वीकृत करते हुये उक्त अवधि में राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2006-09 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2008-09 के विस्तार वर्ष 2010 में भारत में कहीं भी भ्रमण की अवकाश यात्रा सुविधा की पात्रता के तहत सपरिवार "कान्हा, म.प्र." परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है:—

1. श्री विजय यादव - स्वयं
2. श्रीमती रेणु यादव - पत्नी
3. कु. राधिका यादव - पुत्री
4. करण यादव - पुत्र

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री विजय यादव, भापुसे को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

(3) उक्त अवकाश अवधि में श्री विजय यादव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, (मुख्यालय), भोपाल का कार्य श्री ए.पी. सिंह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक विसबल, भोपाल रेंज, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री विजय यादव, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, (मुख्यालय) भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5) श्री विजय यादव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, (मुख्यालय) भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (3) में अतिरिक्त कार्यभार संपादन करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(6) अवकाश काल में श्री विजय यादव, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजय यादव, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1(ए) 153-95-ब-2-दो.—(1) श्री राजाबाबू सिंह, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल रेंज, शहडोल को दिनांक 27 दिसम्बर 2010 से 3 जनवरी 2011 तक कुल आठ दिवस के अर्जित अवकाश एवं दिनांक 25, 26 दिसम्बर 2010 के विज्ञप्त अवकाश के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री राजाबाबू सिंह, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल रेंज, शहडोल का कार्य श्री सुधीर लाड, पुलिस अधीक्षक, शहडोल रेंज, शहडोल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राजाबाबू सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल रेंज, शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री राजाबाबू सिंह, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल रेंज, शहडोल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादन करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री राजाबाबू सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजाबाबू सिंह, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश ओगरे, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2011

फा. क्र. 1(अ) 3-3-इक्कीस-ब(दो)-संशोधन.—राज्य शासन,

द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18 जून 2010 में महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर में अनुक्रमांक 6 पर अंकित श्री बृजेन्द्रनाथ मिश्रा, शासकीय अधिवक्ता के पद पर नियुक्ति आदेश में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :—

“श्री बृजेन्द्रनाथ मिश्रा” के नाम के स्थान पर श्री बृजेशनाथ मिश्रा, शासकीय अधिवक्ता पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2011

फा. क्र. 1(बी)-17-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री कैलाश नारायण श्रीवास्तव पुत्र श्री मदन मोहन श्रीवास्तव, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये दतिया सत्र खण्ड के दतिया राजस्व जिले के लिये अति. लोक अभियोजक नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1(बी) 17-2004-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री कैलाश नारायण श्रीवास्तव पुत्र श्री मदन मोहन श्रीवास्तव, अधिवक्ता को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए दतिया सत्र खण्ड के दतिया राजस्व जिले के लिए अति. शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है. तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर, बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2011

क्र. एफ 3-29-10-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 38 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, विभागीय अधिसूचना क्र. एफ-3-123-बत्तीस-97, दिनांक 5 दिसम्बर, 1997 में यथा विनिर्दिष्ट सिंगरौली निवेश क्षेत्र, जिसकी सीमाएं निम्न अनुसूची में परिनिश्चित की गई हैं, के लिये इस

अधिसूचना के प्रसारण की तिथि से सिंगरौली नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी की स्थापना करती है :—

अनुसूची

सिंगरौली निवेश क्षेत्र की सीमायें

उत्तर में—बरहवा, टोला, बरगवां, डगा, कनई, गलुगढ़, गोदवाली, सेमुआर, अंजनी, पाली, खरकटा, पोंडार, बरहटी, लोटान, बरमानी, करेला, टिकुरी टोला, चतरी एवं ग्राम चुरकी की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में—चुरकी, झिंगुरदहा, चुरीदेह, करुआरी, सरसवाहलाल, सरसवाहराजा, चंदुली, मटवई व तेलगवां, जवांड़ी, जयनगर, माहिलगढ़-पश्चिम, चन्दाबल सेमरिया एवं ग्राम बलियारी की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में—ग्राम बलियारी, मनियारी, हिरवाह, सिंगरौलिया, खजरूरी, एवं ग्राम कटौली की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में—ग्राम कटौली, करकोसा, बिलौजी, भटवा, धतूराबरवा, धतुरा पोखरा, बुसुमहरा, हरदी, खटखरी, लूरी, काजल, पौड़ी, चौराई, बुधेला, पिपराझांपी, मदसा, गुल्लीडांड, गडेरिया, डगा, बरगवां एवं ग्राम बहरवां टोला की पश्चिमी सीमा तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2011

क्र. एफ. 28-31-96-सोलह-ए.—मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 नवम्बर, 2001 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि ऐसे स्थानीय क्षेत्रों में, जहां उक्त अधिनियम लागू हैं, स्थित कोई भी दुकान या वाणिज्यिक स्थापना किसी भी दिन,—

(क) प्रातः 8:00 के पूर्व नहीं खोली जाएगी और

(ख) रात्रि 10:00 बजे के पश्चात् खुली नहीं रखी जाएगी.

यह आदेश राजपत्र में इसके प्रकाशित होने के दिनांक से लागू होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रभा चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2011

क्र. एफ-28-31-96-सोलह-ए.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5 जनवरी 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रभा चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 5th January 2011

No. F. 28-31-96-XVI-A.—In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Madhya Pradesh Shops and Establishments Act, 1958 (No. 25 of 1958) and in supersession of this Department's Order of even number dated 27th November, 2001, the State Government, hereby, directs that no shop or commercial establishment, situated in the local areas where the said Act is enforced, shall on any days,—

(a) be opened earlier than 8:00 A.M.; and

(b) be kept open later than 10:00 P.M.

This order shall come into force from the date of its publication in the official gazette.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
PRABHA CHOWDHARY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2010

क्र. एफ. 9-2-2008-ब-सोलह.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, (34 सन् 1948) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा मेसर्स इंडियन कॉफी वर्क्स को-ऑपरेटिव सोसायटी, लिमिटेड, जबलपुर, मध्यप्रदेश को उक्त अधिनियम के प्रावधानों से दिनांक 1 अक्टूबर 2010 से दिनांक 30 सितम्बर 2011 तक की अवधि के लिये इस शर्त पर छूट प्रदान करता है कि आवेदक पूर्व से विद्यमान चिकित्सकीय सुविधाओं का स्तर पूर्ववत् रखेगा तथा यथासंभव उसे उन्नत करेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
खेमराज माहौर, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2011

“शुद्धि-पत्र”

फा. क्र. 1-5-96-इक्कीस-ब(एक)-शुद्धि-पत्र.—“मध्यप्रदेश राजपत्र” साधारण भाग-1, दिनांक 10 दिसम्बर 2010 में प्रकाशित की गई अधिसूचना दिनांक 30 नवम्बर 2010 में नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में वर्णित उन शब्दों के स्थान पर जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) में वर्णित पृष्ठों तथा पंक्तियों में आए हैं, उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्संबंध प्रविष्टियों में दिए गए शब्द पढ़े जाएं :—

अशुद्ध मुद्रित शब्द	राजपत्र पृष्ठ तथा पंक्तियां जिसमें वे शब्द आए हैं		शुद्ध शब्द जो पढ़े जाएं
	पृष्ठ	पंक्ति	
(1)	(2)	(3)	
15	3365	35	9
16	3365	35	10
17 मुरैना	3365	36	11 श्योपुर
15	3365	35	9
16	3365	48	10
17 Morena	3365	48	11 Sheopur
23 जून 2010	3365	54	13 जुलाई 2010
9 जुलाई 2010	3365	55	23 जुलाई 2010
16, 17	3365	59	8, 9
23 June 2010	3365	67	13 July 2010
9 July 2010	3365	68	23 July 2010
16	3365	71	8
17	3365	72	9

विमल प्रकाश शुक्ल, अतिरिक्त सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 जनवरी 2011

क्र. एफ 3-56-बत्तीस-2010.—राज्य शासन मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (संशोधन 1996) की धारा 17 क(1) के अंतर्गत ब्यावरा विकास योजना हेतु निम्नानुसार समिति का गठन करता है :—

अधिनियम की धारा 17क(1) की उपधारा	पद/व्यक्ति का नाम	संस्था का नाम	पद
(1)	(2)	(3)	(4)
(क)	अध्यक्ष	नगरपालिका परिषद्, ब्यावरा	सदस्य
(ख)	अध्यक्ष	जिला पंचायत, राजगढ़	सदस्य
(ग)	लोक सभा सदस्य	संसदीय क्षेत्र, राजगढ़	सदस्य
(घ)	विधायक	विधानसभा क्षेत्र, ब्यावरा	सदस्य
(ङ)	कोई नहीं	—	सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)
(च)	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, ब्यावरा	सदस्य
(छ)	1. सरपंच	ग्राम पंचायत, कचरारिया	कचरारिया
	2. सरपंच	ग्राम पंचायत, खुरी	मोहनीपुरा, खुरी
	3. सरपंच	ग्राम पंचायत, जमोन्याघाटा	नयापुरा
	4. सरपंच	ग्राम पंचायत, पडोन्या	तलाबडा उर्फ चंपापुर
	5. सरपंच	ग्राम पंचायत, लोधीपुरा	लोधीपुरा
	6. सरपंच	ग्राम पंचायत, चंदरपुर	उम्मेदपुरा
	7. सरपंच	ग्राम पंचायत, हबीपुरा	हबीपुरा
	8. सरपंच	ग्राम पंचायत, नारियावे	मोई
	9. सरपंच	ग्राम पंचायत, मोया	मोया, चामारी
	10. सरपंच	ग्राम पंचायत, खानपुरा	अरनिया
	11. सरपंच	ग्राम पंचायत, बहादुरपुरा	मोतीपुरा, बालापुरा, सिडीघाटा
(ज)	1. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर इंडिया	सदस्य
	2. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया	सदस्य
	3. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया	सदस्य
	4. प्रतिनिधि	कलेक्टर, जिला राजगढ़	सदस्य
	5. प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, राजगढ़	सदस्य
	6. प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, राजगढ़	सदस्य
(झ)	समिति का संयोजक	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल	सदस्य सचिव.

नोट.—(1) ग्राम बखतपुरा, मुल्तानपुरा, नगरपालिका, ब्यावरा क्षेत्र में शामिल है.

(2) अतः यह समिति अधिनियम की धारा 17-क(2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित दायित्वों का निर्वहन करेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश

बालाघाट, दिनांक 14 दिसम्बर 2010

क्र. 12120-स.व.लि.-2010.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम-3-2-1999-1-4-भोपाल, दिनांक 30 मार्च, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर, बालाघाट वर्ष 2011 हेतु जिला बालाघाट के लिए निर्मांकित तिथियों को स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :—

क्रमांक	त्यौहार का नाम	स्थानीय अवकाश	
		दिनांक	दिन
(1)	(2)	(3)	
1	मकर संक्रांति	14-1-2011	शुक्रवार
2	नारबोद	30-8-2011	मंगलवार
3	गोवर्धन	27-10-2011	गुरुवार

यह अवकाश कोषालय/उपकोषालय एवं बैंकों पर लागू नहीं होगा.

नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर/जिलादण्डाधिकारी, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

छिन्दवाड़ा, दिनांक 23 दिसम्बर 2010

क्र. 10925-सां.लि.-2010.—मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-2(क)-15-99-बी-3-दो, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 के तहत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973/1974 का सं. 2 की धारा 2 के खण्ड-एस द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर/जिलादण्डाधिकारी, छिन्दवाड़ा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग, जिला छिन्दवाड़ा के भीतर तहसील अमरवाड़ा के ग्राम कहुआ को जिला छिन्दवाड़ा के आरक्षी केन्द्र पुलिस थाना परासिया सीमा क्षेत्र से हटाकर आरक्षी केन्द्र पुलिस थाना अमरवाड़ा की सीमा में शामिल किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर/जिलादण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-छतरपुर मध्यप्रदेश

छतरपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2010

क्र. 41-एस.सी. 1-2010.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-2-1999-4, दिनांक 30 मार्च, 1999 के द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक 4 के नियम 8 के अनुसार जिले के भीतर तीन स्थानीय अवकाश की घोषणा करने के लिये अधिकृत किया गया है.

अतः सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 अनुक्रमांक 4 की कण्डिका 8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, डॉ. ई. रमेश कुमार, कलेक्टर, छतरपुर वर्ष 2011 के लिये जिलान्तर्गत उनके नाम के समक्ष में दर्शाई गई तारीखों को पूरे दिन के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :-

स.क्र. (1)	अवकाश का दिनांक (2)	अवकाश का दिन (3)	पर्व (4)	विशेष (5)
1	14-1-2011	शुक्रवार	मकर संक्रांति	
2	21-3-2011	सोमवार	भाईदोज (होली)	
3	28-10-2011	शुक्रवार	भाईदोज (दीपावली)	

ई. रमेश कुमार, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर जिला-विदिशा, मध्यप्रदेश

विदिशा, दिनांक 4 जनवरी 2011

क्र.-क्यू-ए.एस.सी.-2011-134.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एम 3-2-1999-1-4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च, 1999 के अनुसार सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक 4 के नियम 5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, सी.बी.सिंह, कलेक्टर, जिला विदिशा वर्ष 2011 के लिये विदिशा जिले के लिये नीचे दर्शाई गई तिथियों को पूरे दिवस के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :-

स.क्र. (1)	त्यौहार का नाम (2)	स्थानीय दिनांक (3)	अवकाश दिन (4)	विवरण (5)
1	रंगपंचमी	24-3-2011	गुरुवार	संपूर्ण जिला
2	दशहरा का दूसरा दिन	7-10-2011	शुक्रवार	संपूर्ण जिला
3	दीपावली का दूसरा दिन	27-10-2011	गुरुवार	संपूर्ण जिला

उक्त अवकाश बैंक/कोषालय/उपकोषालय पर लागू नहीं होंगे.

सी.बी. सिंह, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

खण्डवा, दिनांक 31 दिसम्बर 2010

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का क्रमांक-1) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध-पत्र

क्रमांक-21255-भू-अर्जन-10-राजस्व प्रकरण क्रमांक 03-अ-82-10-11.—यह अनुबंध-पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर जिला खण्डवा एवं पदेन अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् “राज्यपाल” कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशित भी सम्मिलित है) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन मध्यप्रदेश जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् “कंपनी” कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशित भी सम्मिलित है. जिसकी ओर से मुख्यतया—

श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. अभयांचल परिसर मण्डलेश्वर जिला खरगोन म. प्र. में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक 30 दिसम्बर 2010 को सम्पादित किया जा रहा है.

- (1) कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को (जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बांध निर्माण के कारण आंशिक डूब से प्रभावित होने से ग्राम मोरटक्का प.ह.नं. 01, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल सर्वे नं. संख्या 15 कुल क्षेत्रफल 3.21 हे. भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां के भू-अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन-पत्र माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P.-1359-09 दिनांक 6 मई 2009 में पारित आदेश के पालन में पेश किया है. जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट-1 पर अंकित किया गया है.

परिशिष्ट—1

निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां एफ. आर. एल. के अन्तर्गत ग्राम मोरटक्का

अनु. क्र.	नाम भूमिस्वामी/पिता का नाम एवं जाति	ख. नं.	अर्जनीय क्षेत्रफल (हे. में.)	संपत्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	कडवाजी, राजाराम, दयाराम, सखाराम पिता छोगालाल, नि. खेड़ीघाट.	12/1	0.45	नर्मदा नदी से सिंचाई
2	राकेश पिता ताराचंद मिश्रीलाल पिता सुखलाल अनवर पठान पिता वहाब खां, नि. सनावद.	12/2	0.10	नीम-2
3	अम्बीश पिता सतीशचंद, नि. देवास	17/1	0.01	—
4	गणेश पिता रामेश्वर नि. ग्रा.	17/2	0.01	नीम-2, रिंझोड़ा-2, मोटर घर-1.
5	अजय पिता पुखराज जैन, नि. बड़वाह	17/3	0.01	गुलर-2, नीम-2
6	दिलीप पिता कैलाशनारायण नि. देवास	17/4	0.01	—
7	लक्ष्मीनारायण पिता धन्नालाल उर्फ बाबूलाल, नि. बड़वाह	54	0.05	गुलर-2, नीम-2
8	धान्धु पिता उदिया, नि. ग्राम	696	0.17	नर्मदा से पिवत

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	कैलाश पिता खेमा गंगाबाई, जमनाबाई, संजुबाई, सुशीलाबाई पुत्री खेमा हिरा पिता छित्तु, नि. ग्राम.	697	0.05	नर्मदा से पिवत
10	देवकीबाई वि. पन्नालाल, श्याणीबाई, नर्मदाबाई पुत्री पन्नालाल, भलाजी भुवानीराम, मुन्ना पिता कन्हैया कुसुमबाई पुत्री कन्हैया, नि. ग्राम.	698/1	0.28	नर्मदा से पिवत, नगरपालिका सनावद पेय जल पाईप लाईन.
11	धान्धु पिता उदिया, नि. ग्राम	698/2	0.14	नर्मदा नदी से सिंचाई
12	पुनीबाई वि. हिरालाल, नि. ग्राम	699	0.14	नर्मदा नदी से सिंचाई
13	जानकीबाई वि. चंद्रभूषण, शिवशरण, एकनाथ पिता चंद्रभूषण, अमित, अंकित पिता आशुतोष, अ. संरक्षक, जानकीबाई वि. चंद्रभूषण, नि. ग्राम.	700	1.10	नर्मदा से पिवत
14	पुनीबाई वि. हिरालाल नि. ग्राम	701	0.20	नर्मदा से पिवत
15	जानकीबाई वि. चंद्रभूषण, शिवशरण, एकनाथ पिता चंद्रभूषण, अमित, अंकित पिता आशुतोष, अ. संरक्षक, जानकीबाई वि. चंद्रभूषण, नि. ग्राम.	702	0.49	नर्मदा से पिवत
			योग . .	3.21

- राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है कि उक्त जल विद्युत परियोजना राज्य में विद्युत की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.
- कंपनी के भू-अर्जन आवेदन-पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 16 जून 2010 को संपन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-12-12-2010-सात-2-ए भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2010 द्वारा भू-अर्जन की सशर्त अनुमति प्रदान की है इसका इस अनुबंध-पत्र में समावेश किया गया है.
- कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध-पत्र निष्पादित किया जाता है.

कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि —

- कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेगी जो भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.
- कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू-अर्जन कार्य से युक्तसंगत संबंधित होगा.

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट 1, में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां कंपनी को प्रदान करेगा—

(i) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बांध से डूब प्रभावित ग्राम मोरटक्का की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 16 जून 2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील पुनासा, जिला खण्डवा के ग्राम मोरटक्का की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 3.21 हेक्टर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधान अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू-अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.

1. कंपनी (इस आशय के करारनामे या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.
2. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत-प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही की जाये.
3. संबंधित कंपनी के लिये भू-अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावे.
4. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा म.प्र. पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जावेगी.
5. कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.
6. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.
7. अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.
8. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जन की जा रही है वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.
9. भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
10. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. (धारा 44-ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत).
11. यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.
12. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.
13. शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.
14. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.
15. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण, जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

16. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.
 17. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.
 18. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.
 19. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.
 20. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.
- (ii) भू-अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही यह अनुमति प्रभावशील होगी. इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्रय कर देने की कार्यवाही की जायेगी.
 - (iii) भू-अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि प्रस्तावित परियोजना में वनअभ्यारण्य क्षेत्र (सेन्चुरी) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.
 - (iv) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये, जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे.
 - (v) भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र. 1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं पक्ष क्र. 2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि., मण्डलेश्वर, जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध-पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.

साक्षियों के हस्ताक्षर

(पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता)

साक्षी क्र.-1

हस्ता./-

नाम : बी.एल. कुलमी

पता : अपर कलेक्टर, खण्डवा.

पक्ष क्रमांक-1

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-

(डी.डी. अग्रवाल)

कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,

जिला-खण्डवा (म. प्र.).

साक्षी क्र.-2

हस्ता./-

नाम : टी. आर. वर्मा

पता : डिप्टी कलेक्टर, खण्डवा.

पक्ष क्रमांक-2

हस्ता./-

(असद जाफर)

महाप्रबंधक,

श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि., मण्डलेश्वर.

खण्डवा, दिनांक 31 दिसम्बर 2010

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का क्रमांक-1) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध-पत्र

क्रमांक-21256-भू-अर्जन-10-राजस्व प्रकरण क्रमांक 04-अ-82-10-11.—यह अनुबंध-पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर जिला खण्डवा एवं पदेन अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् “राज्यपाल” कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशित भी सम्मिलित है) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन मध्यप्रदेश जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् “कंपनी” कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशित भी सम्मिलित है. जिसकी ओर से मुख्यतयार—

श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि., अभयांचल परिसर, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन म. प्र. में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक 30 दिसम्बर 2010 को सम्पादित किया जा रहा है.

- (1) कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को (जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बांध निर्माण के कारण आंशिक डूब से प्रभावित होने से ग्राम कटार, प.ह.नं. 01, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल सर्वे नं. संख्या 03 कुल क्षेत्रफल 1.29 हे. भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां के भू-अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन-पत्र माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P.-1359-09 दिनांक 6 मई 2009 में पारित आदेश के पालन में पेश किया है. जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट-1 पर अंकित किया गया है.

परिशिष्ट—1**निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां एफ. आर. एल. के अन्तर्गत ग्राम कटार**

अनु. क्र.	नाम भूमिस्वामी/पिता का नाम एवं जाति	ख. नं.	अर्जनीय क्षेत्रफल (हे. में.)	संपत्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	शोभाराम, सखाराम पिता जोग्या, बाउ पिता रूखडू, हीरूबाई पति मांगीलाल, जड़वबाई वि. तुकाराम, रमेश, श्याम अजय पिता तुकाराम, मीराबाई पुत्री तुकाराम, नि. मोरटक्का.	3	0.40	—
2	बाला, गणपत, पन्नालाल, नर्मदाशंकर पिता जयराम, राधाबाई, श्यामलाल, चंदन, गेंदालाल, चंदर, शिवराम, दिनेश पिता टंटु, मंगतीबाई बेवा टंटु, रविंद्र, सतीश पिता सीताराम, पार्वतीबाई, लक्ष्मीबाई, जसुबाई सरस्वतीबाई पुत्री सीताराम, शोभाराम पिता होबल, कस्तुरीबाई वि. होबल, दयाबाई वि. दयाराम नि. मोरटक्का.	4	0.80	—
3	कड़वा, बाबुलाल पिता राजाराम, रमुबाई पुत्री राजाराम, शोभाराम पिता टुटा, गुलाबबाई पुत्री टुटा, नि. ग्रा.	5	0.09	नीम-1
		3	योग . . . 1.29	

2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है कि उक्त जल विद्युत परियोजना राज्य में विद्युत की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.

3. कंपनी के भू-अर्जन आवेदन-पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 16 जून 2010 को संपन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-12-11-2010-सात-2-ए, भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2010 द्वारा भू-अर्जन की सशर्त अनुमति प्रदान की है इसका इस अनुबंध-पत्र में समावेश किया गया है.
4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध-पत्र निष्पादित किया जाता है.

कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि.—

- (क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेंगी जो भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.
 - (ख) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू-अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.
 - (ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट 1, में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां कंपनी को प्रदान करेगा—
- (i) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बांध से डूब प्रभावित **ग्राम कटार** की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 16 जून 2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार **तहसील पुनासा**, जिला खण्डवा के **ग्राम कटार** की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 1.29 हेक्टर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधान अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू-अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.
1. कंपनी (इस आशय के करारनामे या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.
 2. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत-प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही की जाये.
 3. संबंधित कंपनी के लिये भू-अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावे.
 4. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा म.प्र. पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जावेगी.
 5. कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.
 6. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.

7. अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.
 8. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जन की जा रही है वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.
 9. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
 10. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. (धारा 44-ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत).
 11. यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.
 12. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.
 13. शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.
 14. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.
 15. कंपनी द्वारा प्रदुषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदुषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण, जल स्रोत या वायु में प्रदुषण नहीं किया जावेगा.
 16. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.
 17. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.
 18. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.
 19. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.
 20. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.
- (ii) भू-अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही यह अनुमति प्रभावशील होगी. इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्रय कर देने की कार्यवाही की जायेगी.
- (iii) भू-अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि प्रस्तावित परियोजना में वनअभ्यारण्य क्षेत्र (सेन्चुरी) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.
- (iv) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये, जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे.

(v) भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र.-1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं पक्ष क्र.-2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि., मण्डलेश्वर, जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध-पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.

साक्षियों के हस्ताक्षर

(पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता)

साक्षी क्र.-1

हस्ता./- (30-12-10)

नाम : बी.एल. कुलमी

पता : अपर कलेक्टर, खण्डवा.

साक्षी क्र.-2

हस्ता./- (30-12-10)

नाम : टी. आर. वर्मा

पता : डिप्टी कलेक्टर, खण्डवा.

पक्ष क्रमांक-1

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-

(डी.डी. अग्रवाल)

कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,

जिला-खण्डवा (म. प्र.).

पक्ष क्रमांक-2

हस्ता./-

(असद जाफर)

महाप्रबंधक,

श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि., मण्डलेश्वर.

संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2010

क्र.-गन्ना-एस-3-क्षे.रा.-10-11-377.—मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी.एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2010-11 हेतु करेली शुगर मिल प्रा. लि. करेली जिला नरसिंहपुर मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूँ :-

क्र.	जिला/तहसील	क्रय केन्द्र	ग्रामों की संख्या	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	नरसिंहपुर/करेली	फैक्ट्रीगेट	125	4500.38
2	नरसिंहपुर/गाडरवाडा	फैक्ट्रीगेट	80	3484.32
3	नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा	फैक्ट्रीगेट	92	963.13
4	नरसिंहपुर/नरसिंहपुर	फैक्ट्रीगेट	13	224.98
			योग . . . 310	9172.81

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे.

डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.

करेली शुगर मिल प्रा. लि. करेली, गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु ग्रामों की सूची वर्ष 2010-11

तहसील करेली

क्र.	ग्राम का नाम	क्षेत्र की कारखाने से दूरी	परिवहन का साधन	प.ह. न.	गन्ना फसल आच्छादित क्षेत्र			योग गन्ना क्षेत्र (हेक्टेयर में)	उत्पादकता टन प्रति (हेक्टेयर में)	पिराई हेतु उपलब्ध गन्ना (हे. में) वर्ष 10-11 में	क्रय केन्द्र का नाम
					रोपा 09-10 में	जड़ी 08-09 में	मड़ी 07-08 में				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	कुम्होडा	35		2क	18.00	17.81	5.00	40.81	50.00	13.00	
2	खमरिया	40	ट्रक, ट्रेक्टर	2क	2.00	1.00	0.50	3.50	"	0.50	
3	गुडवारा	38	"	2क	2.00	2.00	0.50	4.50	"	0.80	
4	रीछई	39	"	2क	15.30	6.30	0.60	22.20	"	15.00	
5	वगदरी	35	"	4	1.00	0.80	0.00	1.80	"	0.30	
6	बम्होरी	20	"	4	4.00	3.00	2.00	9.00	"	1.00	
7	बीतली	28	"	4	8.00	3.64	4.41	16.05	"	16.00	
8	सगरी	26	"	4	6.00	4.00	1.00	11.00	"	2.00	
9	मिढली	25	"	5	11.20	4.65	2.83	18.68	"	7.00	
10	हिरनपुर	28	"	5	9.00	3.34	3.00	15.34	"	14.00	
11	सिलवानी	25	"	5	1.00	0.50	0.00	1.50	"	0.20	
12	कुडी	24	"	6	1.00	0.50	0.50	2.00	"	0.20	
13	मोथेगाव	15	"	6	4.00	5.00	0.00	9.00	"	1.00	
14	मानेगांव	13	"	6	1.50	1.00	0.00	2.50	"	0.50	
15	धरमपुरी	25	"	6	1.20	1.00	0.00	2.20	"	0.20	
16	गुरसी	22	"	7	1.50	1.00	1.00	3.50	"	1.00	
17	गोकला	23	"	7	1.00	1.00	0.50	2.50	"	0.50	
18	विचुआ	27	"	7	10.52	4.45	0.00	14.97	"	1.00	
19	समनापुर	30	"	7	76.50	34.00	2.40	112.90	"	18.00	
20	रमपुरा	29	"	7	2.00	24.50	21.50	48.00	"	12.00	
21	खैरी	13	"	12	35.62	21.68	7.00	64.30	"	18.00	
22	खैरूआ	15	"	12	8.50	4.00	2.00	14.50	"	7.00	
23	गुरासिया	27	"	12	2.50	2.00	1.00	5.50	"	1.00	
24	पिपरिया	13	"	12	40.00	28.00	10.00	78.00	"	36.00	
25	महलपुरा	10	"	12	3.00	2.00	1.50	6.50	"	2.00	
26	मेरेगांव	15	"	12	4.50	3.00	1.00	8.50	"	4.00	
27	रेवानगर	22	"	12	8.00	4.00	1.50	13.50	"	1.00	
28	लुटवारा	17	"	12	2.00	1.00	0.50	3.50	"	0.20	
29	खला	25	"	3	3.50	2.00	1.00	6.50	"	0.20	
30	पलोहा	26	"	3	11.00	10.00	2.00	23.00	"	20.00	
31	पिंडरई खुर्द	29	"	3	4.00	3.00	1.00	8.00	"	0.50	
32	पिंडरई कला	28	"	3	3.10	2.50	1.00	6.60	"	0.50	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
33	अम्हेटा	10	ट्रक, ट्रेक्टर	21	61.50	39.20	6.40	107.10	50.00	31.00	
34	करौंदा	12	"	21	3.40	1.70	0.00	5.10	"	1.00	
35	खिरिया	7	"	21	6.00	4.85	2.00	12.85	"	12.00	
36	बीनेर	8	"	21	20.00	13.00	1.20	34.20	"	13.00	
37	मोहद	6	"	21	85.00	60.70	15.20	160.90	"	122.00	
38	आमगांव	8	"	22	103.60	85.80	37.70	220.10	"	140.00	
39	वधुवार	5	"	22	92.00	89.00	23.40	204.40	"	120.00	
40	बम्होरी	12	"	22	49.40	45.00	4.49	98.89	"	38.00	
41	करेली	5	"	17	240.90	135.20	59.10	435.20	"	350.00	
42	कठोतिया	8	"	16	151.00	63.10	16.60	230.70	"	110.00	
43	जनौर	9	"	16	39.60	23.00	7.30	69.90	"	15.00	
44	पिपरिया	11	"	14	84.60	59.50	13.80	157.90	"	42.00	
45	बसेडी	10	"	14	6.80	10.50	2.00	19.30	"	1.50	
46	राकई	12	"	14	116.60	76.90	12.10	205.60	"	55.00	
47	कुम्हडी	14	"	15	12.00	7.70	0.50	20.20	"	2.00	
48	खैरी	12	"	15	8.00	10.50	3.20	21.70	"	11.00	
49	रामपिपरिया	15	"	15	12.10	3.20	0.00	15.30	"	1.00	
50	सुरंगी	18	"	15	4.00	3.00	0.40	7.40	"	5.50	
51	कंधरापुर	20	"	20	32.30	8.00	1.00	41.30	"	1.00	
52	करहैया	25	"	20	1.40	1.00	1.00	3.40	"	0.50	
53	कोसमखेडा	25	"	20	41.30	26.30	9.70	77.30	"	4.50	
54	कौडिया	13	"	20	3.00	1.00	1.00	5.00	"	0.20	
55	जल्लापुर	25	"	20	16.60	6.90	4.40	27.90	"	2.00	
56	पिपरिया	14	"	20	3.00	17.00	20.00	40.00	"	1.10	
57	विचुआ खुर्द	22	"	20	3.00	3.00	1.60	7.60	"	0.40	
58	विचुआ कला	21	"	20	3.00	2.00	1.00	6.00	"	0.20	
59	बेलखेडी	28	"	20	3.00	2.60	1.40	7.00	"	0.30	
60	जीरागोरा	27	"	24	0.6	0.40	0.00	1.00	"	0.20	
61	दिल्हेरी	20	"	24	1.60	0.40	0.00	2.00	"	1.00	
62	नयाखेडा	15	"	24	79.80	61.20	1.60	142.60	"	60.00	
63	करहैया	20	"	24	1.60	1.00	0.40	3.00	"	0.20	
64	बासादेही	16	"	24	20.60	21.00	3.60	45.20	"	15.00	
65	इमलिया	6	"	24	6.40	7.30	1.20	14.90	"	3.00	
66	कोदसा	9	"	13	80.00	60.70	28.30	169.00	"	60.00	
67	गोंगावली	7	"	13	25.30	16.20	2.80	44.30	"	7.00	
68	जौहरिया	6	"	13	14.60	10.70	5.40	30.70	"	7.00	
69	देगोंवा	10	"	13	2.60	2.40	0.00	5.00	"	0.20	
70	बसखेडा	10	"	13	8.90	6.90	3.20	19.00	"	11.00	
71	बासादेही	7	"	13	20.00	19.00	6.00	45.00	"	30.00	
72	करताज	26	"	19	7.50	24.30	45.10	76.90	"	2.00	
73	कपुरी	32	"	19	45.00	32.40	9.30	86.70	"	5.00	
74	गौडी	19	"	19	1.00	0.60	0.00	1.60	"	0.20	
75	तिधरा	18	"	19	0.60	0.60	0.40	1.60	"	0.20	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
76	पिपरिया	22	ट्रक, ट्रेक्टर	19	2.60	2.40	0.00	5.00	50.00	0.50	
77	मैनावारी	25	"	19	8.00	4.70	0.00	12.70	"	1.00	
78	रैहली	21	"	19	18.20	8.00	0.40	26.60	"	4.00	
79	खापा	24	"	26	1.00	0.70	0.40	2.10	"	0.20	
80	नानौरी	15	"	26	2.40	1.60	0.70	4.70	"	0.20	
81	निवारी	17	"	26	10.50	8.00	1.00	19.50	"	1.00	
82	विचुआ कला	19	"	26	3.00	2.00	1.00	6.00	"	0.20	
83	महगुंवा	15	"	26	8.70	6.00	1.20	15.90	"	4.00	
84	रमखिरिया	20	"	27	5.20	4.80	0.00	10.00	"	2.00	
85	हिनौतिया	28	"	27	2.60	1.40	1.00	5.00	"	0.20	
86	माचामउ	13	"	27	1.50	1.00	0.50	3.00	"	0.20	
87	गोवरगांव	10	"	23	35.20	26.00	0.00	61.20	"	32.00	
88	तिन्सरा	15	"	23	18.20	17.40	2.00	37.60	"	12.00	
89	पिपरिया	15	"	23	32.38	24.30	6.70	63.38	"	8.00	
90	बरौदिया	15	"	23	16.60	13.31	5.70	35.61	"	7.00	
91	सिमरिया खुर्द	11	"	23	18.00	12.00	3.60	33.60	"	12.00	
92	सिमसिया कला	12	"	23	14.40	8.00	2.40	24.80	"	9.00	
93	मिधवानी	8	"	18	23.50	18.00	0.60	42.10	"	9.50	
94	सासबहू	12	"	18	48.50	31.20	7.70	87.40	"	45.00	
95	जोवा	7	"	18	40.00	22.30	7.20	69.50	"	46.00	
96	भुगवारा	7	"	18	80.00	50.00	16.60	146.60	"	80.00	
97	चमरूआ	10	"	18	3.20	1.60	0.00	4.80	"	1.00	
98	अमथनू	30	"	1	1.00	0.50	0.00	1.50	"	0.20	
99	सुआतला	28	"	1	7.50	1.00	3.20	11.70	"	1.00	
100	बम्हनी	40	"	1	0.60	0.40	0.00	1.00	"	0.20	
101	रहली	33	"	1	0.90	0.60	0.00	1.50	"	0.20	
102	पिपरिया		"	2ख	0.50	0.50	0.00	1.00	"	0.20	
103	लुहारी		"	5	3.60	2.40	0.00	6.00	"	0.20	
104	बरमान	21	"	6	1.00	0.50	0.00	1.50	"	0.20	
105	बीकोर	28	"	6	0.60	0.30	0.30	1.20	"	0.20	
106	केरपानी	128	"	8	1.50	1.50	0.60	3.60	"	0.20	
107	खमरिया		"	8	0.90	0.60	0.40	1.90	"	0.20	
108	चिनकी	40	"	9	2.00	1.60	0.40	4.00	"	0.20	
109	समनापुर	26	"	9	32.00	16.20	1.20	49.40	"	1.00	
110	मेहंगोवा		"	9	6.00	5.00	1.00	12.00	"	0.50	
111	धूरपुर	28	"	9	6.60	3.40	1.50	11.50	"	0.20	
112	उमरिया	26	"	10	30.10	12.00	2.00	44.10	"	6.00	
113	पिपरहा	27	"	10	4.00	3.00	2.00	9.00	"	0.20	
114	मोहद	30	"	10	3.50	2.00	1.10	6.60	"	0.20	
115	रातीकरार कला	22	"	11	6.00	4.00	1.10	11.10	"	3.50	
116	देवरी खुर्द	15	"	11	4.00	3.00	1.10	8.10	"	0.20	
117	रातीकरार खुर्द		"	11	8.00	5.10	3.10	16.20	"	5.00	
118	देवाकछार	12	"	11	16.20	8.90	1.00	26.10	"	2.00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
119	बारहा	15	ट्रक, ट्रेक्टर	11	12.50	7.60	1.00	21.10	50.00	13.00	
120	केरपानी	28	"	25	2.60	2.00	0.40	5.00	"	0.20	
121	खिरिया		"	25	0.60	0.40	0.00	1.00	"	0.50	
122	बसौदा	13	"	25	1.00	0.60	0.00	1.60	"	1.00	
123	हरदगाव	17	"	25	2.60	2.40	0.50	5.50	"	1.00	
124	ग्वारी	17	"	25	3.60	2.40	1.00	7.00	"	0.20	
125	महलवाडा	36	"	20	1.00	1.00	0.00	2.00	"	0.20	
				योग . .	2375.72	1621.03	503.63	4500.38		1789.70	

करेली शुगर मिल प्रा. लि., करेली, गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु ग्रामों की सूची वर्ष 2010-11

तहसील गाडरवारा

क्र.	ग्राम का नाम	क्षेत्र की कारखाने से दूरी	परिवहन का साधन	प.ह. न.	गन्ना फसल आच्छादित क्षेत्र			योग गन्ना क्षेत्र (हेक्टेयर में)	उत्पादकता टन प्रति (हेक्टेयर में)	पिराई हेतु उपलब्ध गन्ना (हे. में) वर्ष 10-11 में	क्रय केन्द्र का नाम
					रोपा 09-10 में	जड़ी 08-09 में	मड़ी 07-08 में				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	गोरास	14	ट्रक, ट्रेक्टर	73	10.93	10.12	4.05	25.10	50.00	10.00	
2	मडेसुर	11	"	73	62.21	43.02	21.57	126.80	"	50.00	
3	मोथेगाँव	14	"	73	6.07	4.86	1.62	12.55	"	8.00	
4	छवारा	15	"	73	2.10	2.00	1.10	5.20	"	2.20	
5	कामती	15	"	75	42.91	32.79	3.64	79.34	"	40.00	
6	कुंदुआखेडा	20	"	75	4.04	2.02	0.00	6.06	"	2.00	
7	गरहा	20	"	75	51.82	46.96	7.69	106.47	"	30.00	
8	निजोर	13	"	75	46.96	38.86	6.48	92.30	"	25.00	
9	अंजसरा	20	"	75	11.30	4.30	0.00	15.60	"	6.20	
10	कुम्हीडाबर	18	"	74	6.00	8.30	1.40	15.70	"	10.00	
11	झमरी	9	"	74	9.00	7.20	1.20	17.40	"	5.80	
12	कौडिया	6	"	74	12.10	9.30	5.30	26.70	"	11.00	
13	झामर	8	"	74	19.60	10.50	2.00	32.10	"	14.00	
14	भूतपिपरिया	5	"	74	24.30	22.30	3.20	49.80	"	28.00	
15	रमखिरिया	5	"	74	30.60	22.70	5.30	58.60	"	20.00	
16	सिमरिया	10	"	79	28.00	20.00	4.00	52.00	"	32.00	पुरगवां
17	खंचारी	10	"	79	49.00	46.00	10.00	105.00	"	64.00	पुरगवां
18	करपगाँव	7	"	80	169.05	126.60	75.80	371.45	"	235.00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
19	देगवॉ	12	ट्रक, ट्रेक्टर	80	32.00	35.60	6.40	74.00	50.00	40.00	
20	मेहगवॉ	15	"	80	1.00	0.80	0.40	2.20	"	0.90	
21	सर्रा	15	"	80	1.00	0.90	0.90	2.80	"	1.00	
22	बटेसरा	3	"	81	60.00	37.50	16.70	114.20	"	60.00	
23	कनवास	8	"	81	40.10	32.40	6.00	78.50	"	14.00	
24	कांकरकुईआ	20	"	81	0.50	0.50	0.00	1.00	"	0.20	
25	खमरिया	10	"	81	31.00	22.60	11.60	65.20	"	12.00	
26	चीकसा	10	"	81	20.00	18.20	8.40	46.60	"	15.00	
27	बंदेसुर	5	"	81	49.40	36.40	8.10	93.90	"	63.00	
28	शाहपुर	10	"	82	105.60	86.20	15.80	207.60	"	113.00	
29	बघौरा	14	"	82	23.50	19.40	2.80	45.70	"	11.00	
30	भिन्डवार	17	"	82	14.10	4.90	0.00	19.00	"	3.00	
31	रामखेडी	11	"	82	45.00	37.70	6.70	89.40	"	25.00	
32	सलगापुर	15	"	82	0.50	0.50	0.00	1.00	"	0.20	
33	इमलिया	17	"	83	24.60	20.20	4.60	49.40	"	18.00	
34	हथनापुर	21	"	83	2.00	1.00	0.00	3.00	"	0.20	
35	हिरदेपुर	15	"	83	0.40	0.50	0.20	1.10	"	0.40	
36	विजनपुर	22	"	84	16.60	8.40	0.00	25.00	"	15.00	
37	भूमियाघाट		"	84	0.50	0.50	0.50	1.50	"	0.20	
38	जेथारी	31	"	84	1.00	1.00	0.00	2.00	"	0.20	
39	धमेटा	20	"	84	7.20	2.80	0.00	10.00	"	6.00	
40	सलैया	21	"	84	1.00	0.80	0.00	1.80	"	1.00	
41	सिलेटी	32	"	85	0.50	0.50	0.50	1.50	"	0.20	
42	निघौरा	33	"	85	1.00	1.00	0.00	2.00	"	0.20	
43	पिपरिया	34	"	85	0.60	0.60	0.30	1.50	"	0.20	
44	विलौनी	19	"	70	18.60	9.40	3.00	31.00	"	3.00	
45	मानखेडा	20	"	70	6.40	2.60	1.40	10.40	"	0.20	
46	रीछा	20	"	70	18.40	11.20	1.60	31.20	"	3.00	
47	महुआखेडा	16	"	70	1.50	1.00	0.50	3.00	"	1.00	
48	बेलखेड़ी	15	"	70	1.00	0.50	0.50	2.00	"	0.80	
49	इमझिरी	21	"	70	26.00	20.00	4.00	50.00	"	32.00	
50	छीतापुर	20	"	72	45.00	30.40	4.50	79.90	"	25.00	
51	खामघाट	20	"	72	1.00	0.50	0.50	2.00	"	0.20	
52	लिंगा	19	"	72	2.50	1.00	0.50	4.00	"	0.20	
53	बरमान	16	"	72	0.80	0.50	0.40	1.70	"	0.60	
54	कुसम्ही	21	"	68	20.10	17.00	0.00	37.10	"	10.00	
55	ढोडोकेसला	25	"	69	0.50	0.50	0.00	1.00	"	0.20	
56	बडियाघाट	22	"	69	11.40	8.50	0.80	20.70	"	3.00	
57	उमरपानी	17	"	71	24.30	19.50	2.00	45.80	"	15.00	
58	खुरसुरू	15	"	71	14.60	18.00	2.50	35.10	"	24.00	
59	सिंगोटा	15	"	71	25.50	22.30	2.00	49.80	"	19.50	
60	रायपानी	18	"	71	4.90	4.20	1.00	10.10	"	4.20	
61	बीतली	18	"	71	2.20	1.80	1.00	5.00	"	1.80	
62	बम्होरी	20	"	65	15.00	10.10	1.60	26.70	"	10.00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
63	बुधवारा	22	ट्रक, ट्रेक्टर	66	12.70	9.30	0.00	22.00	50.00	2.00	
64	बरांझ	20	"	75	17.40	12.50	2.00	31.90	"	15.00	पुरगवां
65	ठुठी	15	"	76	57.60	42.10	0.00	99.70	"	40.00	पुरगवां
66	पुरगवां	16	"	76	55.40	47.36	3.24	106.00	"	25.00	पुरगवां
67	सीहोरा	18	"	76	30.40	18.20	0.00	48.60	"	5.00	
68	हरई	19	"	76	11.00	7.00	3.00	21.00	"	3.00	पुरगवां
69	दुधवारा	20	"	76	1.50	0.50	0.00	2.00	"	0.80	
70	टेकापार	19	"	67	23.50	20.00	0.00	43.50	"	5.00	पुरगवां
71	मुडिया	22	"	67	1.80	0.80	0.20	2.80	"	1.00	
72	कल्यानपुर	20	"	68	73.80	69.90	5.00	148.70	"	16.10	
73	बाम्हनवाडा	17	"	78	14.20	11.30	0.00	25.50	"	17.00	पुरगवां
74	इमलिया	15	"	78	5.10	4.00	2.00	11.10	"	4.20	
75	जमनिया	20	"	78	0.60	0.40	0.00	1.00	"	0.40	
76	माल्हनवाड़ा	10	"	10	42.20	42.90	2.25	87.35	"	49.10	पुरगवां
77	नारगी	11	"	11	51.00	44.60	2.00	97.60	"	43.00	पुरगवां
78	पनारी	13	"	13	60.00	41.30	0.40	101.70	"	35.00	पुरगवां
79	बांसखेड़ा	12	"	14	13.00	5.70	2.20	20.90	"	4.00	
80	टिकटोली	20	"	20	15.80	12.60	0.00	28.40	"	15.00	

योग . . 1819.09 1422.49 295.34 3484.32 1472.40

करेली शुगर मिल प्रा. लि., करेली, गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु ग्रामों की सूची वर्ष 2010-11

तहसील तेंदुखेडा

क्र.	ग्राम का नाम	क्षेत्र की कारखाने से दूरी	परिवहन का साधन	प.ह. न.	गन्ना फसल आच्छादित क्षेत्र			योग गन्ना क्षेत्र (हेक्टेयर में)	उत्पादकता टन प्रति (हेक्टेयर में)	पिराई हेतु उपलब्ध गन्ना (हे. में) वर्ष 10-11 में	क्रय केन्द्र का नाम
					रोपा 09-10 में	जड़ी 08-09 में	मड़ी 07-08 में				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	सेंसरा	22	ट्रक, ट्रेक्टर	8	2.00	1.50	1.00	4.50	50.00	1.00	
2	झमझीरा	24	"	14	3.00	2.00	0.00	5.00	"	2.00	
3	ईश्वरपुर	35	"	14	16.80	1.20	8.90	26.90	"	15.00	
4	तेन्दूखेडा	40	"	15	1.50	1.00	0.50	3.00	"	0.50	
5	उमरपानी	13	"	15	3.00	2.00	2.00	7.00	"	1.20	
6	कठोतिया	18	"	15	1.50	0.50	1.00	3.00	"	0.20	
7	कूडा	19	"	15	2.00	1.00	1.00	4.00	"	1.00	
8	जैतपुर	40	"	15	2.00	1.00	0.50	3.50	"	0.50	
9	खैरुआ	18	"	16	1.50	1.00	0.50	3.00	"	0.20	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
10	मदनपुर	45	ट्रक, ट्रेक्टर	16	4.00	3.00	2.00	9.00	50.00	0.50	
11	देवरी	25	"	16	1.00	0.50	1.00	2.50	"	0.20	
12	बिचुआ	40	"	16	23.00	14.00	6.50	43.50	"	12.00	
13	धैरा	28	"	16	1.00	0.50	0.50	2.00	"	0.20	
14	कोटखेडी	35	"	3	0.50	0.50	0.00	1.00	"	0.20	
15	घूघरी	30	"	3	1.00	0.50	0.00	1.00	"	0.20	
16	मूढापार	35	"	3	1.00	0.00	1.00	25.40	"	1.00	
17	रमपुरा	38	"	3	19.80	23.40	1.00	20.80	"	15.00	
18	परासिया	17	"	3	1.00	0.00	1.00	2.50	"	0.20	
19	धूपखेडा	28	"	3	1.00	0.50	0.50	2.00	"	0.20	
20	हथिनी	35	"	4	1.50	0.50	0.50	2.50	"	0.20	
21	जुआरी	30	"	4	1.00	0.50	0.00	1.50	"	0.20	
22	जूड़ा	35	"	4	1.00	0.50	0.00	1.50	"	0.20	
23	पीपरवानी	48	"	4	0.50	0.50	0.00	1.00	"	0.20	
24	बडिया	30	"	4	1.00	0.00	0.50	1.50	"	0.20	
25	चौकी	32	"	5	0.50	0.50	0.00	1.00	"	0.20	
26	जगन्नाथपुर	26	"	5	0.50	0.50	0.50	1.50	"	0.20	
27	महगुवाँ	31	"	5	24.70	6.90	1.00	32.60	"	17.00	
28	बिलहरा	32	"	6	17.20	9.30	1.10	27.60	"	18.00	
29	मानपुर	40	"	6	0.50	0.50	0.50	1.50	"	0.20	
30	चरगुवा	38	"	6	0.50	0.50	0.50	1.50	"	0.20	
31	चिलका	25	"	11	2.00	0.80	0.00	2.80	"	0.20	
32	दमोहिया	30	"	11	8.00	6.00	2.45	16.45	"	3.00	
33	महगँवा	35	"	11	5.00	4.00	3.00	12.00	"	4.00	
34	इमलिया	38	"	11	3.00	2.00	1.00	6.00	"	1.00	
35	बंधा	40	"	11	26.00	14.10	0.00	40.10	"	20.00	
36	खैरी	35	"	12	16.00	9.10	0.00	25.10	"	3.00	
37	नौरंगपुर	32	"	12	27.50	14.00	1.00	42.50	"	10.00	
38	मेहंदा	36	"	12	12.00	5.70	4.00	21.70	"	10.00	
39	वरकुंडा	40	"	12	2.80	1.60	0.00	4.40	"	1.00	
40	बिलगुवाँ	42	"	13	4.00	0.00	0.00	4.00	"	2.00	
41	खमरिया	36	"	13	3.50	3.00	0.50	7.00	"	1.50	
42	करहैया	34	"	13	12.00	10.50	3.50	26.00	"	1.50	
43	इमझिरा	30	"	9	2.00	1.50	1.00	4.50	"	1.00	
44	काशीखैरी	35	"	9	28.30	16.20	4.80	49.30	"	20.00	
45	ढिगसरा	38	"	9	21.00	12.00	3.98	36.98	"	3.50	
46	बम्हौरी	40	"	9	10.00	7.00	0.00	17.00	"	2.00	
47	लोलरी	22	"	9	10.00	4.00	0.00	14.00	"	5.00	
48	सूखाढिगसरा	41	"	9	1.00	1.00	0.00	2.00	"	1.00	
49	डोभी	32	"	19	53.00	24.00	1.00	78.00	"	40.00	
50	छतरपुर	38	"	20	1.00	0.50	0.50	2.00	"	1.00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
51	खैरी खुर्द	40	ट्रक, ट्रेक्टर	20	8.00	8.00	7.00	23.00	50.00	12.50	
52	चॉवरपाठा	25	"	10	16.50	8.50	2.00	27.00	"	17.00	
53	अंडिया	41	"	20	1.20	1.00	1.00	3.20	"	0.50	
54	इमलिया	38	"	21	2.00	1.00	1.00	4.00	"	0.50	
55	विष्णुपुर	40	"	10	8.60	0.80	0.50	9.90	"	2.00	
56	ढिलवार	42	"	1	1.00	0.50	0.00	1.50	"	0.20	
57	पीपरवानी	41	"	1	1.50	1.00	1.00	3.50	"	0.20	
58	महुआखेडा	45	"	1	0.50	0.50	0.00	1.00	"	0.20	
59	सगौनी	45	"	2	1.50	0.50	0.50	2.50	"	0.20	
60	छीतापार	35	"	2	1.00	0.50	0.50	2.00	"	0.50	
61	जामनपानी	38	"	2	1.50	1.00	0.00	2.50	"	0.20	
62	नाडिया	42	"	7	0.50	0.50	0.00	1.00	"	0.20	
63	गुटोरी	38	"	7	11.80	6.00	2.50	20.30	"	5.50	
64	झिकौली	40	"	7	1.00	0.50	0.50	2.00	"	0.20	
65	सिमरिया	45	"	7	3.00	2.40	3.00	8.40	"	0.20	
66	देवरी	42	"	8	23.00	14.00	6.00	43.00	"	35.00	
67	पडरिया	38	"	8	8.00	5.00	2.00	15.00	"	2.00	
68	सूमेरखेडा	37	"	8	8.10	1.60	0.00	9.70	"	1.00	
69	जमुनिया	37	"	8	7.80	8.00	1.60	17.40	"	10.00	
70	रूकवारा	36	"	4	10.20	6.00	1.00	17.20	"	5.00	
71	केसली	15	"	10	0.50	0.50	0.50	1.50	"	0.20	
72	बडियाघाट	18	"	10	11.10	8.10	1.00	20.20	"	16.00	
73	वनखेडा	20	"	10	1.00	0.60	0.40	2.00	"	0.20	
74	खुरपा	30	"	16	0.60	0.50	0.50	1.60	"	0.20	
75	ग्वारी	45	"	17	0.60	0.50	0.50	1.60	"	0.20	
76	बंधी	35	"	17	0.70	0.40	0.40	1.50	"	0.20	
77	सर्रा	40	"	17	0.50	0.40	0.60	1.50	"	0.50	
78	काचरकोना	42	"	18	14.00	10.00	0.00	24.00	"	12.00	
79	टेकापार	35	"	18	0.50	0.50	0.50	1.50	"	1.00	
80	नैनावारी	45	"	20	1.00	0.50	0.00	1.50	"	0.20	
81	अनवारा	35	"	20	0.50	0.50	0.00	1.00	"	0.20	
82	करहैया	38	"	21	1.50	1.00	0.50	3.00	"	0.20	
83	वारहा	35	"	21	1.00	0.50	1.00	2.50	"	1.00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
84	सिमरिया कला	38	ट्रक, ट्रेक्टर	21	1.50	1.00	0.00	2.50	50.00	1.00	
85	बिलथारी	38	"	22	1.00	0.50	0.50	2.00	"	0.20	
86	कलहैडी	35	"	22	0.50	0.00	1.00	1.50	"	0.20	
87	भामा	38	"	23	2.50	2.00	1.00	5.50	"	0.30	
88	गंगई	37	"	23	1.50	1.00	0.50	3.00	"	0.30	
89	मनकापुर	39	"	23	4.00	3.00	2.00	9.00	"	0.30	
90	हीरापुर	40	"	24	1.00	0.50	0.00	1.50	"	0.20	
91	करैदी	42	"	24	1.50	1.00	1.00	3.50	"	0.20	
92	बीकोर		"	24	0.50	1.00	0.50	2.00	"	1.50	
योग . .					547.8	312.60	102.73	963.13		348.2	

करेली शुगर मिल प्रा. लि., करेली, गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु ग्रामों की सूची वर्ष 2010-11

तहसील नरसिंहपुर

क्र.	ग्राम का नाम	क्षेत्र की कारखाने से दूरी	परिवहन का साधन	प.ह. न.	गन्ना फसल आच्छादित क्षेत्र			योग गन्ना क्षेत्र (हेक्टेयर में)	उत्पादकता टन प्रति (हेक्टेयर में)	पिराई हेतु उपलब्ध गन्ना (हे. में) वर्ष 10-11 में	क्रय केन्द्र का नाम
					रोपा 09-10 में	जड़ी 08-09 में	मड़ी 07-08 में				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	नयाखेडा	44	ट्रक, ट्रेक्टर	7	15	8.00	3.00	26.00	50.00	2.00	
2	बम्होरी	43	"	7	6.00	2.00	2.00	10.00	"	1.00	
3	सागोनी खुर्द	36	"	8	21.50	10.00	4.50	36.00	"	15.00	
4	सागोनी कला	36	"	8	12.50	10.00	3.00	25.50	"	10.00	
5	गरगटा	38	"	8	3.50	3.00	1.50	8.00	"	1.00	
6	तिदेनी	23	"	9	2.00	0.50	0.50	3.00	"	0.50	
7	नंदवारा	22	"	16	9.51	5.46	0.81	15.78	"	5.00	
8	नरसिंहपुर	20	"	17	4.05	4.25	0.00	8.30	"	1.50	
9	देवरी कलॉ	10	"	18	13.36	3.24	1.82	18.42	"	2.00	
10	सिमरिया	42	"	29	8.30	3.64	0.00	11.94	"	0.50	
11	कुकवारा		"	18	29.15	20.40	5.26	54.81	"	14.00	
12	डुडवारा		"		2.83	0.00	0.00	2.83	"	0.50	
13	दुराजपुर		"		4.00	0.40	0.00	4.40	"	1.50	
योग . .					131.70	70.89	22.39	224.98		54.50	

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

संशोधित अधिसूचना

नीमच, दिनांक 9 दिसम्बर 2010

क्र. 3566-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 01-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त धारा 5-क के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नीमच	जावद	नयागांव	8.445	कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, नीमच.	एकीकृत जांच चौकी निर्माण हेतु भूमि अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, उप खण्ड, जावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 12 नवम्बर 2010

प्र. क्र. 018-अ-82-वर्ष-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	भापतपुर	निजी 16.36 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.21 कुल रकबा 16.57	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	सब्जुआ बांध निर्माण डूब क्षेत्र वेस्ट वियर स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 021-अ-82-वर्ष-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	रैपुरा	बघवार खुर्द	निजी 12.00 एवं शासकीय भूमि रकबा 1.50 <u>कुल रकबा 13.50</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	खोरा बाँध निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पन्ना, दिनांक 15 दिसम्बर 2010

प्र. क्र. 31-अ-82-वर्ष-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	जुगरवारा	निजी 2.95 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.13 <u>कुल रकबा 3.08</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	जुगरवारा बाँध निर्माण डूब क्षेत्र वेस्ट वियर स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 14 दिसम्बर 2010

क्र. दस-भू-अर्जन-फा. 549-प्र. क्र. 3-अ-82-2010-11-6712.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधितों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 "अ" के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	सोहागपुर	सेमरा	1.469	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2, शहडोल (म. प्र.)	हडही जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोहागपुर, जिला शहडोल, (म. प्र.) में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 30 दिसम्बर 2010

क्र. 1526-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची (कर्ब हेतु पूरक प्रकाशन)

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	बारीखुर्द	0.989	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना, (म. प्र.)	बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 5 जनवरी 2011

क्र. 2-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	चुरहट	टकटैया	0.07	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग, चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.)	नहर के निर्माण बाबत्

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 4-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	चुरहट	रामनगर	0.08	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग, चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.)	नहर के निर्माण बाबत्

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 6-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	चुरहट	साड़ा (शिवराजपुर)	0.011	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग, चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.)	नहर के निर्माण बाबत्

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 8-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	चुरहट	नकवेल	0.12	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग, चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.)	नहर के निर्माण बाबत्

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मनावर, दिनांक 30 दिसम्बर 2010

क्र. 2285-वाचक-प्र. क्र. 02-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	खुमानपुरा पूरक प. ह. न. 15/46	0.826	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर.	औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर आर. डी. 147710 मी. से 149255 मी. के बीच नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 2260-वाचक-प्र. क्र. 03-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	पिपलटोका पूरक प्रकरण प. ह. न. 16	1.544	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर.	औंकारेश्वर परियोजना की नहर आर. डी. 153200 मी. से निकलने वाली डायरेक्ट माईनर क्र. 76 की माईनर 1 एवं उसकी सब माईनर के बीच नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 2270-वाचक-प्र. क्र. 04-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	कोसवाड़ा पूरक प. ह. न. 17	1.424	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर.	औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 153261 मी. से 155804 मी. के निर्माण से प्रभावित होने वाली भूमि हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 2275-वाचक-प्र. क्र. 05-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	लिम्बी पूरक प्रकरण प. ह. न. 29/48	1.091	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर.	औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर आर. डी. 127840 मी. से निकलने वाली डी. व्हाय. 13 एवं उसकी माईनरों के नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

कुशी, दिनांक 31 दिसम्बर 2010

क्र. 1929-वाचक-प्र. क्र.-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	कुशी	निम्बोल पूरक प्रकरण प. ह. न. 68	3.320	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर.	औंकारेश्वर परियोजना की नहर आर. डी. 159250 मी. से निकलने वाली दाहोद डी. एम. 80 की आर. डी. 0 से 1090 मी. के बीच नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1934-वाचक-प्र. क्र.-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	कुशी	मसान्या पूरक प्रकरण प. ह. न. 68	6.908	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर.	औंकारेश्वर परियोजना की नहर आर. डी. 156200 मी. से निकलने वाली वितरण नहर क्र. 17 मलवाडा वितरण नहर की आर. डी. 0 से 440 मी. तक व 156500 से 158200 डी. एम. 78 एवं 79 के बीच नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 3 जनवरी 2011

क्र. भू-अर्जन- (अ-82) 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	घुघरी	सालीवाड़ा मा. प.ह.नं. 60	0.16	कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय खण्ड, मण्डला.	समूह नल-जल प्रदाय योजनान्तर्गत इंटेकबेल निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 5 जनवरी 2011

प्र. क्र. 1-अ-82-2008-2009.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी			सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील /तालुका	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
(1)	(2)	(3)	खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
रायसेन	उदयपुरा	ऊंचाखेड़ा	10	0.324	0.150	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, रायसेन.
			12	1.966	0.315	
			16	0.786	0.060	ऊंचाखेड़ा जलाशय की नहर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		15	0.271	0.090	
		14	0.076	0.188	
		17	4.068	0.150	
		19	0.352	0.030	
		20	2.258	0.300	
		30	2.841	0.135	
		36	0.162	0.030	
		44	0.105	0.038	
		45	0.085	0.03	
		47	1.485	0.413	
		55/1	0.859	0.105	
		58/2	2.428	0.48	
		58/1	1.813	0.54	
		105	0.777	0.15	
		103	0.640	0.15	
विलंगवा		38	2.719	0.525	
		42/1	2.152	0.375	
		44/1	0.437	0.098	
		44/2	0.251	0.098	
		46/4	0.498	0.10	
		45/1	0.143	0.10	
		45/2	0.142	0.077	
ऊंचाखेड़ा		197/1/1	4.855	0.30	
		200/1	1.319	0.15	
		200/2	1.214	0.30	
		200/3/1	2.128	0.283	
		200/7/1	1.619	0.375	
		208/1	4.198	0.675	
		209/2	3.876	0.375	
		209/1/2	3.475	0.375	
		233/2/2	1.011	0.188	
		231	2.113	0.338	
		227/2/1	0.862	0.125	
		227/1/1/1	1.416	0.413	
सहजपुरी		43/1	1.643	0.375	
		50	4.407	0.638	
		51	2.343	0.488	
		64/1	1.254	0.300	
		65	3.156	0.142	
		70/1/1	1.222	0.300	
		70/1/2	1.227	0.300	
		70/2/1	0.809	0.300	
		118/1	0.894	0.450	
		121/1	2.399	0.450	
		121/2	2.399	0.450	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			116/1	1.214	0.180
			116/5	1.214	0.090
			116/4	1.214	0.300
			116/3	1.214	0.180
			115/3	2.4	0.315
			115/6	1.619	0.300
			115/12	1.000	0.262
			115/14	0.809	0.300
			115/15	0.809	0.090
			115/20	0.729	0.090
ऊंचाखेडा			47	1.485	0.135
					ऊंचाखेडा जलाशय की एल. एम.-1, नहर
			49/1	0.858	0.114
			49/2	1.214	0.114
			49/3	1.214	0.114
			49/4	1.113	0.114
			53/1	0.914	0.113
			53/2	0.915	0.113
			112/2	1.210	0.180
			112/4	0.156	0.030
			112/3	0.304	0.135
			111	0.825	0.139
			189/2	1.619	0.230
			188/2/1	0.809	0.021
			188/2/2	0.809	0.021
			187/1	5.407	0.188
			187/2	0.809	0.188
			184/2	1.667	0.288
			209/1/1	1.683	0.300
					ऊंचाखेडा जलाशय की आर.एम.-2 नहर.
			209/1/2	3.475	0.300
			209/1/3	6.070	0.612
			209/1/4/1	2.719	0.317
			209/1/1/4/2	2.720	0.317
			209/1/4/3	2.720	0.317
			209/2	3.876	0.677
सहजपुरी			41/3/2	4.775	0.270
			41/2	0.880	0.240
			41/3/3	4.970	0.300
			41/3/2	4.775	0.300
			37/2	0.633	0.180
			37/1	0.633	0.018
			58/1	2.529	0.300
			59	1.141	0.360
			60	0.567	0.225

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			61/1	1.255	0.180
			64/2	1.258	0.180
			61/3	1.262	0.180
			61/4	1.254	0.180
			82/1	0.809	0.270
			82/2	2.739	0.270
			योग . .	23.454	
ऊंचाखेड़ा शासकीय		18	0.028	0.028	
		35	0.134	0.075	
		34	0.125	0.075	
		109	1.424	0.012	
		104	0.089	0.030	
		32	0.069	0.069	
		102	0.089	0.003	
विलंगवा		36	0.760	0.088	
सहजपुरी		44	0.227	0.090	
		46	1.007	0.413	

नोट :—भूमि का नक्शा एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बरेली, जिला रायसेन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहन लाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 6 जनवरी 2011

क्र. 177-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		भू-अर्जन अधिनियम 1894	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित
जिला	तहसील	की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	पांडुर्णा	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा (म.प्र.)	ढोलनखापा जलाशय के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आ रही निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।
	ग्राम-नरसला		
	ब. न.-211		
	प.ह.नं.-01		
	रा.नि.मं.-नांदनवाड़ी.		
		0.971 हेक्टर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पत्तियों)	

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा में) जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उप संभाग-पादुर्णा के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 178-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि में स्थित सम्पत्ति का अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये पूर्व में सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये अर्जित की गई भूमि के भू-भाग में स्थित छूटी हुई संपत्तियों के अधिग्रहण किये जाने की आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		भू-अर्जन अधिनियम 1894	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित छूटी हुई संपत्तियों के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में
(1)	(2)	(3)	(4)
छिन्दवाड़ा	पादुर्णा	ग्राम-चिचोलीबड़ ब. नं.-132 प.ह.नं.-34 रा.नि.मं.-पादुर्णा.	खसरा नं. 194/2 में पूर्व में अर्जित किया गया रकबा 01.668 हेक्टेयर में अर्जन से छूटे हुये 36 वृक्षों के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
			अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
			(5)
			(6)
			कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
			खसरा नं. 194/2 में पूर्व में अर्जित किया गया रकबा 01.668 हेक्टेयर में अर्जन से छूटे हुये 36 वृक्षों के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि खसरा नं. 194/2 में स्थित 36 वृक्षों के अधिग्रहण किये जाने हेतु अभिलेखों का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा में) जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि खसरा नं. 194/2 में स्थित 36 वृक्षों के अधिग्रहण किये जाने हेतु अभिलेखों का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि खसरा नं. 194/2 में स्थित 36 वृक्षों के अधिग्रहण किये जाने हेतु अभिलेखों का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जलसंसाधन उप संभाग-पाटुर्णा के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 179-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है, एवं आवश्यकता होने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिंदवाड़ा	चौरई	ग्राम-लिखड़ी ब. नं.-258 प.ह.नं.-17 रा.नि.मं.-चौरई.	0.152 हेक्टर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पतियों)	कार्यपालन यंत्री, कन्हरगांव परियोजना, संभाग-छिंदवाड़ा जिला-छिंदवाड़ा (म.प्र.)	लिखड़ी जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा में) जिला-छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, कन्हरगांव परियोजना, संभाग-छिंदवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कन्हरगांव परियोजना नहर उपसंभाग क्रमांक-2 छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 11 अक्टूबर 2010

प्र. क्र.-009-अ-82-वर्ष-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—पन्ना
(ग) ग्राम—लुहरहाई
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.21 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
124/1 जुज	0.25	निजी भूमि
125/1 जुज	0.01	निजी भूमि
126 जुज	0.11	निजी भूमि
129/1 जुज	0.03	निजी भूमि
131	0.06	निजी भूमि
132/1 जुज	0.10	निजी भूमि
132/2 जुज	0.02	निजी भूमि
149 जुज	0.30	निजी भूमि
159 जुज	0.30	निजी भूमि
160 जुज	0.02	निजी भूमि
232/1 जुज	0.03	निजी भूमि
232/2 जुज	0.10	निजी भूमि
248/2 जुज	0.05	निजी भूमि
249 जुज	0.10	निजी भूमि
250 जुज	0.11	निजी भूमि
252 जुज	0.15	निजी भूमि
253 जुज	0.10	निजी भूमि
254 जुज	0.03	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
268/4 जुज	0.12	निजी भूमि
270 जुज	0.05	निजी भूमि
271	0.02	निजी भूमि
285 जुज	0.05	निजी भूमि
286 जुज	0.10	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि	2.21	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—झाली तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र.-022-अ-82-वर्ष-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—रैपुरा
(ग) ग्राम—बघवार कलां
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.20 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
1942	0.12	निजी भूमि
1943	0.20	निजी भूमि
1941/1	0.01	निजी भूमि
1941/2	0.01	निजी भूमि
1980/3510	0.01	निजी भूमि
2084/3511	0.07	निजी भूमि
1971	0.06	निजी भूमि
1972	0.07	निजी भूमि
1973	0.01	निजी भूमि
1978	0.04	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1979	0.08	निजी भूमि	2052	0.06	निजी भूमि
1980	0.01	निजी भूमि	2055	0.02	निजी भूमि
1994	0.03	निजी भूमि	2056	0.06	निजी भूमि
2106	0.04	निजी भूमि	2630	0.08	निजी भूमि
2082	0.05	निजी भूमि	2053	0.03	निजी भूमि
1981	0.06	निजी भूमि	2054	0.03	निजी भूमि
1992	0.01	निजी भूमि	2629	0.03	निजी भूमि
2085	0.01	निजी भूमि	2631	0.01	निजी भूमि
1995	0.06	निजी भूमि	2666	0.02	निजी भूमि
2081	0.04	निजी भूमि	2649	0.10	निजी भूमि
2083	0.03	निजी भूमि	2650	0.12	निजी भूमि
2084	0.01	निजी भूमि	2663	0.02	निजी भूमि
2102	0.12	निजी भूमि	2664	0.06	निजी भूमि
2096	0.02	निजी भूमि	2665	0.06	निजी भूमि
2097	0.10	निजी भूमि	2679	0.02	निजी भूमि
2103	0.04	निजी भूमि	2680	0.09	निजी भूमि
2104	0.15	निजी भूमि	2681	0.02	निजी भूमि
2105	0.06	निजी भूमि	2709	0.01	निजी भूमि
2107	0.15	निजी भूमि	2682	0.10	निजी भूमि
2111	0.04	निजी भूमि	2705	0.05	निजी भूमि
2078	0.03	निजी भूमि	2707	0.01	निजी भूमि
2079	0.01	निजी भूमि	2708	0.06	निजी भूमि
2080	0.10	निजी भूमि	2702	0.01	निजी भूमि
2088	0.11	निजी भूमि	2703	0.07	निजी भूमि
2070	0.10	निजी भूमि	2704	0.02	निजी भूमि
2069	0.03	निजी भूमि	2661	0.01	निजी भूमि
2067	0.01	निजी भूमि	3316	0.11	निजी भूमि
2605	0.07	निजी भूमि	3317	0.13	निजी भूमि
2606	0.07	निजी भूमि	3318	0.06	निजी भूमि
2066	0.10	निजी भूमि	3330	0.06	निजी भूमि
2060	0.06	निजी भूमि	कुल रकबा निजी भूमि <u>4.20</u>		
2061	0.01	निजी भूमि	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बघवार कलां तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु,		
2062	0.06	निजी भूमि	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.		
2063	0.07	निजी भूमि			
2051	0.13	निजी भूमि			

प्र. क्र.-024-अ-82-वर्ष-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—पन्ना

(ग) ग्राम—शहपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—17.04 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टर में)	भूमि का प्रकार	(1)	(2)	(3)
(1)	(2)	(3)			
1/1	0.40	निजी भूमि	27	0.26	निजी भूमि
1/2	0.39	निजी भूमि	28	0.02	निजी भूमि
2	0.40	निजी भूमि	29	0.73	निजी भूमि
3 जुज	0.54	निजी भूमि	30	0.82	निजी भूमि
4	0.76	निजी भूमि	31	0.75	निजी भूमि
7 जुज	0.35	निजी भूमि	32 जुज	0.10	निजी भूमि
8 जुज	0.80	निजी भूमि	33 जुज	0.05	निजी भूमि
9	0.62	निजी भूमि	34 जुज	0.10	निजी भूमि
10	0.16	निजी भूमि	36 जुज	0.43	निजी भूमि
11	0.77	निजी भूमि	37 जुज	0.08	निजी भूमि
12	0.25	निजी भूमि	38 जुज	0.40	निजी भूमि
13	0.46	निजी भूमि	39 जुज	0.14	निजी भूमि
14 जुज	0.03	निजी भूमि	42 जुज	0.04	निजी भूमि
15	0.13	निजी भूमि	50 जुज	0.08	निजी भूमि
17	0.41	निजी भूमि	51 जुज	0.08	निजी भूमि
18	0.05	निजी भूमि	52 जुज	0.25	निजी भूमि
19	0.36	निजी भूमि	53 जुज	0.15	निजी भूमि
20	0.20	निजी भूमि	54 जुज	0.05	निजी भूमि
21	0.22	निजी भूमि	55 जुज	0.05	निजी भूमि
22	0.60	निजी भूमि	56	0.03	निजी भूमि
23	0.12	निजी भूमि	57 जुज	0.20	निजी भूमि
25/2	1.04	निजी भूमि	58 जुज	0.23	निजी भूमि
26	0.21	निजी भूमि	78 जुज	0.03	निजी भूमि
			89 जुज	0.12	निजी भूमि
			91/3 जुज	0.12	निजी भूमि
			95	0.04	निजी भूमि
			96 जुज	0.20	निजी भूमि
			99 जुज	0.32	निजी भूमि
			100 जुज	0.05	निजी भूमि
			101 जुज	0.32	निजी भूमि
			102 जुज	0.07	निजी भूमि
			103 जुज	0.12	निजी भूमि
			118 जुज	0.09	निजी भूमि
			131/1 जुज	0.06	निजी भूमि
			131/2 जुज	0.06	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
132 जुज	0.18	निजी भूमि	355/1 जुज	0.05	निजी भूमि
139/2 जुज	0.02	निजी भूमि	355/2 जुज	0.05	निजी भूमि
140/2 जुज	0.06	निजी भूमि	356	0.13	निजी भूमि
141 जुज	0.10	निजी भूमि	357 जुज	0.15	निजी भूमि
150 जुज	0.06	निजी भूमि	358 जुज	0.08	निजी भूमि
151	0.05	निजी भूमि	442	0.31	निजी भूमि
149/1 जुज	0.03	निजी भूमि	443	0.02	निजी भूमि
149/2 जुज	0.03	निजी भूमि	444	0.29	निजी भूमि
154/1 जुज	0.07	निजी भूमि	452	0.13	निजी भूमि
154/4 Part	0.03	निजी भूमि	453	0.60	निजी भूमि
158 जुज	0.07	निजी भूमि	454	0.26	निजी भूमि
189/1 जुज	0.23	निजी भूमि	459	0.65	निजी भूमि
190/1 जुज	0.06	निजी भूमि	464 जुज	0.18	निजी भूमि
200 जुज	0.14	निजी भूमि	465 जुज	0.12	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि	17.04		466	0.22	निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—झाली तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.			467	0.23	निजी भूमि
			468	0.09	निजी भूमि
			469	0.20	निजी भूमि
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.			474	0.60	निजी भूमि
			475	0.36	निजी भूमि
प्र. क्र.-026-अ-82-वर्ष-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—			476	0.12	निजी भूमि
			477	0.13	निजी भूमि
			478	0.26	निजी भूमि
			479	0.06	निजी भूमि
			480	1.14	निजी भूमि
			481	0.51	निजी भूमि
			482	0.45	निजी भूमि
(1) भूमि का वर्णन—			673 जुज	0.03	निजी भूमि
(क) जिला—पन्ना			674 जुज	0.05	निजी भूमि
(ख) तहसील—पन्ना			675/1	0.15	निजी भूमि
(ग) ग्राम—सिलधरा			675/2	0.14	निजी भूमि
(घ) लगभग क्षेत्रफल—52.87 हेक्टेयर.			676	0.14	निजी भूमि
खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टर में)	भूमि का प्रकार	677	0.11	निजी भूमि
(1)	(2)	(3)	678	0.12	निजी भूमि
353	0.03	निजी भूमि	679	0.13	निजी भूमि
354	0.11	निजी भूमि			

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
680	0.22	निजी भूमि	727	0.24	निजी भूमि
681 जुज	0.10	निजी भूमि	728	1.55	निजी भूमि
682 जुज	0.03	निजी भूमि	729	4.00	निजी भूमि
693 जुज	0.45	निजी भूमि	730	0.20	निजी भूमि
694	0.10	निजी भूमि	732	1.65	निजी भूमि
695 जुज	0.45	निजी भूमि	733	0.03	निजी भूमि
696 जुज	0.02	निजी भूमि	734	0.41	निजी भूमि
699	0.29	निजी भूमि	735	0.03	निजी भूमि
700	0.17	निजी भूमि	736	0.36	निजी भूमि
701	0.16	निजी भूमि	737	0.05	निजी भूमि
702	0.02	निजी भूमि	738	1.16	निजी भूमि
703	0.26	निजी भूमि	739	0.01	निजी भूमि
704	0.45	निजी भूमि	740	0.36	निजी भूमि
705	1.11	निजी भूमि	741	0.31	निजी भूमि
706	0.11	निजी भूमि	742	0.25	निजी भूमि
707	0.26	निजी भूमि	743	0.47	निजी भूमि
708	0.26	निजी भूमि	744	0.39	निजी भूमि
710	0.17	निजी भूमि	745	0.40	निजी भूमि
711	0.15	निजी भूमि	746	0.35	निजी भूमि
712	0.29	निजी भूमि	747	0.21	निजी भूमि
713	0.50	निजी भूमि	748	0.17	निजी भूमि
714	0.83	निजी भूमि	749	0.13	निजी भूमि
715	0.24	निजी भूमि	750	0.13	निजी भूमि
716	6.15	निजी भूमि	751	0.29	निजी भूमि
717	0.51	निजी भूमि	752	0.59	निजी भूमि
718	0.33	निजी भूमि	753	0.52	निजी भूमि
719	0.15	निजी भूमि	754	0.11	निजी भूमि
720	0.34	निजी भूमि	755	0.28	निजी भूमि
721	0.34	निजी भूमि	756	0.07	निजी भूमि
722	0.37	निजी भूमि	757	0.29	निजी भूमि
723	0.32	निजी भूमि	758	0.26	निजी भूमि
724/1	0.17	निजी भूमि	759	0.50	निजी भूमि
724/2	0.16	निजी भूमि	760	0.93	निजी भूमि
725	0.18	निजी भूमि	761	0.33	निजी भूमि
726	0.22	निजी भूमि	762	0.34	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
763	0.35	निजी भूमि	805 जुज	0.05	निजी भूमि
764/1	0.40	निजी भूमि	806 जुज	0.02	निजी भूमि
764/2	0.17	निजी भूमि	808/1 जुज	0.15	निजी भूमि
765	0.41	निजी भूमि	808/2	0.20	निजी भूमि
766	0.31	निजी भूमि	809 जुज	0.14	निजी भूमि
767	0.29	निजी भूमि	810 जुज	0.25	निजी भूमि
768	0.35	निजी भूमि	811 जुज	0.20	निजी भूमि
769	0.37	निजी भूमि	812 जुज	0.20	निजी भूमि
770	0.31	निजी भूमि	813 जुज	0.45	निजी भूमि
771	0.07	निजी भूमि	814 जुज	0.20	निजी भूमि
772 जुज	0.50	निजी भूमि	815 जुज	0.25	निजी भूमि
773	0.42	निजी भूमि	827 जुज	0.35	निजी भूमि
775/1	0.16	निजी भूमि	कुल रकबा निजी भूमि	52.87	
775/2 जुज	0.15	निजी भूमि	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—झाली तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.		
776 जुज	0.36	निजी भूमि	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.		
777 जुज	0.28	निजी भूमि	पन्ना, दिनांक 15 दिसम्बर 2010		
778	0.22	निजी भूमि	प्र. क्र.-003-अ-82-वर्ष-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—		
779	0.42	निजी भूमि	अनुसूची		
780	0.22	निजी भूमि	(1) भूमि का वर्णन—		
781	0.28	निजी भूमि	(क) जिला—पन्ना		
782	0.29	निजी भूमि	(ख) तहसील—पवई		
783	0.41	निजी भूमि	(ग) ग्राम—मधपुरा		
784/1	0.20	निजी भूमि	(घ) लगभग क्षेत्रफल—20.34 हेक्टेयर.		
784/2 जुज	0.10	निजी भूमि	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टर में)	भूमि का प्रकार
785 जुज	0.26	निजी भूमि	(1)	(2)	(3)
787 जुज	0.28	निजी भूमि	08	0.37	निजी भूमि
788 जुज	0.10	निजी भूमि	12	0.20	निजी भूमि
789 जुज	0.08	निजी भूमि			
794	0.03	निजी भूमि			
795 जुज	0.25	निजी भूमि			
796	0.03	निजी भूमि			
798 जुज	0.14	निजी भूमि			
799 जुज	0.20	निजी भूमि			
800 जुज	0.25	निजी भूमि			
802 जुज	0.10	निजी भूमि			

(1)	(2)	(3)	भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—		
13	0.34	निजी भूमि			
14	0.01	निजी भूमि			
15	0.87	निजी भूमि			
153/325	1.05	निजी भूमि	अनुसूची		
27	2.55	निजी भूमि	(1) भूमि का वर्णन—		
25	0.24	निजी भूमि	(क) जिला—पन्ना		
26	2.89	निजी भूमि	(ख) तहसील—पवई		
35	0.03	निजी भूमि	(ग) ग्राम—खजरूट		
36	0.04	निजी भूमि	(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.48 हेक्टेयर.		
35	0.03	निजी भूमि	खसरा	कुल अर्जित रकबा	भूमि
42	0.45	निजी भूमि	नम्बर	(हेक्टर में)	का प्रकार
47	0.48	निजी भूमि	(1)	(2)	(3)
50	0.11	निजी भूमि	228	0.03	निजी भूमि
52	1.11	निजी भूमि	322	0.15	निजी भूमि
57	0.61	निजी भूमि	327	0.23	निजी भूमि
56	0.32	निजी भूमि	336	0.04	निजी भूमि
251	1.47	निजी भूमि	337	0.10	निजी भूमि
241	0.70	निजी भूमि	338	0.15	निजी भूमि
242	0.70	निजी भूमि	339	0.01	निजी भूमि
244	1.04	निजी भूमि	370	0.15	निजी भूमि
246	0.60	निजी भूमि	371	0.05	निजी भूमि
247	0.60	निजी भूमि	369	0.15	निजी भूमि
248	0.34	निजी भूमि	368	0.15	निजी भूमि
253	0.41	निजी भूमि	385	0.15	निजी भूमि
249	0.63	निजी भूमि	386	0.18	निजी भूमि
255	1.25	निजी भूमि	415	0.10	निजी भूमि
58	0.90	निजी भूमि	413	0.26	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि 20.34			412	0.03	निजी भूमि
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—भैंसाडोल तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.		416	0.04	निजी भूमि
(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.		414	0.05	निजी भूमि
			451	0.06	निजी भूमि
			452	0.03	निजी भूमि
			470	0.01	निजी भूमि
			453	0.06	निजी भूमि
			468	0.25	निजी भूमि
			467	0.03	निजी भूमि

प्र. क्र.-004-अ-82-वर्ष-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
466	0.02	निजी भूमि	97	0.13	निजी भूमि
465	0.25	निजी भूमि	14	0.01	निजी भूमि
1187	0.20	निजी भूमि	15	0.06	निजी भूमि
1186	0.14	निजी भूमि	19	0.03	निजी भूमि
1184	0.01	निजी भूमि	264	0.10	निजी भूमि
1193	0.15	निजी भूमि	16	0.01	निजी भूमि
1183	0.01	निजी भूमि	95	0.12	निजी भूमि
1182	0.01	निजी भूमि	17/1	0.14	निजी भूमि
1194	0.05	निजी भूमि	284/1	0.08	निजी भूमि
1195	0.10	निजी भूमि	17/2	0.17	निजी भूमि
1200	0.08	निजी भूमि	284/2	0.10	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि	<u>3.48</u>		106	0.12	निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—भैंसाडोल तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.			101	0.01	निजी भूमि
			102	0.05	निजी भूमि
			103	0.06	निजी भूमि
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.			284/4	0.15	निजी भूमि
			285	0.01	निजी भूमि
प्र. क्र.-007-अ-82-वर्ष-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—			93	0.02	निजी भूमि
			232	0.02	निजी भूमि
			233	0.02	निजी भूमि
			90	0.30	निजी भूमि
			268	0.12	निजी भूमि
			261	0.03	निजी भूमि
(1) भूमि का वर्णन—			257	0.12	निजी भूमि
(क) जिला—पन्ना			267/1	0.06	निजी भूमि
(ख) तहसील—पन्ना			267/2	0.07	निजी भूमि
(ग) ग्राम—रमखिरया			267/3	0.06	निजी भूमि
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.21 हेक्टेयर.			244	0.07	निजी भूमि
खसरा	कुल अर्जित रकबा	भूमि	283	0.02	निजी भूमि
नम्बर	(हेक्टर में)	का प्रकार	284/3	0.03	निजी भूमि
(1)	(2)	(3)	234	0.14	निजी भूमि
8	0.28	निजी भूमि	231	0.05	निजी भूमि
12	0.22	निजी भूमि	221	0.02	निजी भूमि
13	0.10	निजी भूमि	222	0.16	निजी भूमि
34	0.05	निजी भूमि	362	0.12	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
219	0.03	निजी भूमि	409	0.86	निजी भूमि
218	0.06	निजी भूमि	410	0.34	निजी भूमि
215	0.03	निजी भूमि	411	0.02	निजी भूमि
334	0.04	निजी भूमि	413	0.35	निजी भूमि
213	0.04	निजी भूमि	414	0.12	निजी भूमि
336	0.01	निजी भूमि	415	0.46	निजी भूमि
335	0.05	निजी भूमि	416	0.40	निजी भूमि
1/1	0.38	निजी भूमि	417/1	0.40	निजी भूमि
51/1	0.14	निजी भूमि	417/2	0.40	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि	4.21		423	0.33	निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—रमखिरिया तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.			460	0.94	निजी भूमि
			424/1	0.71	निजी भूमि
			424/2	0.71	निजी भूमि
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.			425	0.09	निजी भूमि
			426/1	0.38	निजी भूमि
प्र. क्र.-014-अ-82-वर्ष-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—			426/2	0.39	निजी भूमि
			429	0.04	निजी भूमि
			430	0.10	निजी भूमि
			579	0.06	निजी भूमि
			431	0.27	निजी भूमि
			432	0.02	निजी भूमि
अनुसूची					
(1) भूमि का वर्णन—			433	0.55	निजी भूमि
(क) जिला—पन्ना			437	0.05	निजी भूमि
(ख) तहसील—रैपुरा			441	0.02	निजी भूमि
(ग) ग्राम—ऊंचा			438	0.20	निजी भूमि
(घ) लगभग क्षेत्रफल—18.87 हेक्टेयर.			439	0.09	निजी भूमि
खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टर में)	भूमि का प्रकार	440	0.20	निजी भूमि
(1)	(2)	(3)	442	0.02	निजी भूमि
406	0.43	निजी भूमि	443	0.54	निजी भूमि
422	0.05	निजी भूमि	445	0.08	निजी भूमि
407	0.43	निजी भूमि	444	0.15	निजी भूमि
421	0.02	निजी भूमि	446	0.12	निजी भूमि
408	0.92	निजी भूमि	449	0.38	निजी भूमि
419	0.09	निजी भूमि	453	0.54	निजी भूमि
			454	0.39	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टर में)	भूमि का प्रकार
			(1)	(2)	(3)
455	0.11	निजी भूमि	02	0.85	निजी भूमि
457	1.28	निजी भूमि	03	2.00	निजी भूमि
458	0.83	निजी भूमि	04	2.26	निजी भूमि
459	0.45	निजी भूमि	06	1.50	निजी भूमि
541	0.05	निजी भूमि	07	1.50	निजी भूमि
542	0.20	निजी भूमि	08	2.00	निजी भूमि
461	0.34	निजी भूमि	09	1.50	निजी भूमि
462	0.25	निजी भूमि	10	1.00	निजी भूमि
463	0.56	निजी भूमि	12	0.10	निजी भूमि
540	0.12	निजी भूमि	13	1.20	निजी भूमि
			कुल रकबा निजी भूमि <u>13.91</u>		
581	0.45	निजी भूमि	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—गिटपिटा तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.		
594	0.35	निजी भूमि	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.		
608	0.17	निजी भूमि			
610	0.49	निजी भूमि			
624	0.22	निजी भूमि			
625	0.03	निजी भूमि			
651	0.24	निजी भूमि			
409/2002	0.07	निजी भूमि			
			कुल रकबा निजी भूमि <u>18.87</u>		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—नांदन तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र.-015-अ-82-वर्ष-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अमानगंज
(ग) ग्राम—रैगुवां
(घ) लगभग क्षेत्रफल—13.91 हेक्टेयर.

प्र. क्र.-021-अ-82-वर्ष-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—रैपुरा
(ग) ग्राम—बघवार खुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.60 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
529	1.60	निजी भूमि
530	1.00	निजी भूमि
	कुल रकबा निजी भूमि <u>2.60</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खोरा तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र.-022-अ-82-वर्ष-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—रैपुरा
(ग) ग्राम—बघवारकलां
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.44 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
994	0.04	निजी भूमि
997	0.07	निजी भूमि
998	0.09	निजी भूमि
1001	0.01	निजी भूमि
1002	0.01	निजी भूमि
1003	0.01	निजी भूमि
1005	0.01	निजी भूमि
1007	0.08	निजी भूमि
1008	0.10	निजी भूमि
995	0.02	निजी भूमि

कुल रकबा निजी भूमि 0.44

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खोरा तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र.-025-अ-82-वर्ष-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—पन्ना

- (ग) ग्राम—जरूआखेडा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—11.56 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
145	0.91	निजी भूमि
167	0.24	निजी भूमि
175	0.25	निजी भूमि
176	0.03	निजी भूमि
177	0.22	निजी भूमि
178	0.13	निजी भूमि
179	0.14	निजी भूमि
180	0.36	निजी भूमि
181	0.39	निजी भूमि
182	0.20	निजी भूमि
183	0.08	निजी भूमि
185	0.45	निजी भूमि
186	0.16	निजी भूमि
187	0.76	निजी भूमि
188	0.94	निजी भूमि
189	1.03	निजी भूमि
191	0.67	निजी भूमि
192	0.79	निजी भूमि
193	0.19	निजी भूमि
194	0.25	निजी भूमि
195	0.28	निजी भूमि
196	0.15	निजी भूमि
197	0.09	निजी भूमि
198	1.35	निजी भूमि
199	0.07	निजी भूमि
200	1.19	निजी भूमि
215	0.10	निजी भूमि
196/223	0.14	निजी भूमि

कुल रकबा निजी भूमि 11.56

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—झाली तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 21 दिसम्बर 2010

क्र. 10801-भू-अर्जन-2010.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—हरई
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-बसुरियाकलों, प. ह.नं.-21, ब.नं.-53 रा. नि. मंडल-हरई.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—0.465 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नं.	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
375/3	0.098
376/4	0.075
376/3	0.113
364/3	0.022
364/2	0.157
योग : <u>0.465</u>	

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—मुर्गीटोला जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अर्जन.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिंदवाड़ा) जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिंदवाड़ा जिला-छिंदवाड़ा में भी किया जा सकता है.

- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग-अमरवाड़ा, जिला-छिंदवाड़ा में भी किया जा सकता है.

क्र. 10802-भू-अर्जन-2010.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—हरई
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-बसुरियाखुर्द, प. ह. नं.-25, ब. नं.-52, रा. नि. मंडल-हरई.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—5.679 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नं.	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
105	0.112
106/1	0.136
142/2	0.090
106/2	0.063
109/2	0.135
111/1	0.068
111/2	0.068
113	0.158
117/2	0.105
117/7	0.090
121/1	0.089
121/2	0.089
124	0.338
211	0.060
207/1, 207/2	0.270
91/1, 91/2	0.045
143/1	0.045

(1)	(2)
149/2	0.113
149/5, 149/6	0.010
149/7, 149/8	0.030
149/9, 149/10	0.045
149/11, 149/12	0.195
204	0.022
91/4	0.042
202/7	0.090
222/2	0.135
222/4	0.063
223/2	0.135
224	0.202
226	0.045
225	0.022
233/1	0.105
233/2	0.090
233/3	0.101
233/4	0.120
237	0.135
240	0.370
243	0.135
247	0.165
250/1	0.010
250/2	0.075
250/3	0.045
250/4	0.135
251	0.180
143/3	0.112
147/1	0.080
147/2	0.180
145	0.089
146	0.195
91/3	0.247
योग : <u>05.679</u>	

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—मुर्गीटोला जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण के लिये निजी कृषि भूमि का अर्जन.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिंदवाड़ा) जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिंदवाड़ा, जिला-छिंदवाड़ा में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग-अमरवाड़ा, जिला-छिंदवाड़ा में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 27 दिसम्बर 2010

क्र. 605-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—त्योथर
(ग) ग्राम—उपरवार
(घ) रकबा.—0.088 हेक्टर

खसरा नं.

रकबा
(हेक्टर में)

(1)

(2)

177/2

0.008

178

0.036

(1)	(2)
197	0.012
192/4	0.008
203	0.008
204	0.008
205/3	0.008
कुल योग : 0.088	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—सड़क निर्माण एन.आर.बाय. योजनांतर्गत.
- (3) भूमि के नक्शे का निरीक्षण कलेक्टर जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. पी. श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 29 दिसम्बर 2010

क्र. 3555-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची से पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—पेटलावद
(ग) ग्राम—पटेल नाका (डूब क्षेत्र)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—निजी भूमि 1.00 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1	0.15
7	0.25
33	0.32
78	0.06
79	0.22
योग : 1.00	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—पटेल नाका (डूब क्षेत्र) निर्माण होने से ग्राम पटेल नाका का कुल रकबा निजी भूमि 1.00 हेक्टर.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

झाबुआ, दिनांक 5 जनवरी 2011

क्र. 77-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची से पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—कृषि भूमि

- (क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—थांदला
(ग) ग्राम का नाम—रोजिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.92 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
78 पे.	0.11
86/3	0.02
88	0.01
89	0.12
80	0.18
93/1 पे	0.08
93/164/1	0.10
119	0.04
118	0.04
135	0.06
136	0.16
योग : 0.92	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—ग्राम रोजिया में खटावला तालाब कि नहर निर्माण हेतु अधिग्रहित होने से.

नोट:—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय झाबुआ में किया जा सकता है.

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रं.01 झाबुआ तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), थांदला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शोभित जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मनावर, दिनांक 30 दिसम्बर 2010

क्र. 2255-वाचक- प्र. क्र.-1-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—मनावर
(ग) ग्राम—कवठी (पूरक प्रकरण)
(घ) लगभग क्षेत्रफल— 2.745 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
10	0.200
35/1	0.090
35/2	0.080
35/3	0.080
35/4	0.050
35/5	0.040
37/2	0.405
29	0.385
18	0.280
136/1/3/1	0.220
86/2	0.260
273/2/2, 274/2/2	0.085
255/7/2, 271/1/1	0.145
271/2/1/1	
240/1/1/1	0.220
85/1/1	0.205
योग : 2.745	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर आर.डी. 145000 मी. से निकलने वाली डी. व्हाय.16 एवं डी. एम. 73 की माईनरों के निर्माण हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान), कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 2280-वाचक- प्र. क्र.-2-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—मनावर
(ग) ग्राम—बाकानेर (पूरक प्रकरण)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.200 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
निजी	(2)
(1)	(2)
89/1/1/1	0.200
योग : 0.200	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन लिए भूमि की आवश्यकता है—औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 122.083 मी. से निकलने वाली डी. एम 62 नहर का (पूरक) प्रकरण के नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान)कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 2265-वाचक- प्र. क्र.-4-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू-

अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—मनावर
(ग) ग्राम—धनखेडी (पूरक प्रकरण)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.510 हेक्टेयर.

सर्वे नं. निजी	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
113/1 क/1	0.345
12/2 4 29/1	
25	0.100
12/1 1 27, 28	
17/1/3	0.045
17/17	0.020
	<u>योग 0.510</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है—औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 114940 मी. से 117375 मी. तक की मुख्य नहर एवं 115520 मी. से 115660 मी. की मुख्य नहर का (पूरक) एवं डी. व्हाय. 11 एवं उसकी वितरण शाखाएँ के नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा)
मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 31 दिसम्बर 2010

क्र. 18914-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में

वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—खिलचीपुर
(ग) ग्राम—कुम्हारा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.158 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
5/7/1	0.130
5/7/2	0.130
5/7/3	0.130
99/19/1	0.067
99/19/2	0.110
99/19/3	0.067
99/19/4	0.067
22	0.024
23	0.056
48	0.024
50	0.135
99/45	0.202
56/2/5	0.085
59	0.182
65	0.165
74	0.129
99/3	0.216
99/4	0.036
102/1	0.203

कुल योग : 2.158

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—डेंडी तालाब के दौयी नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खिलचीपुर-जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 18917-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—खिलचीपुर
(ग) ग्राम—गोरधनपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.070 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
28/1	0.036
34/2	0.036
63/13/1	2.010
63/17/1/1	0.036
63/17/1/2	1.320
63/23	0.065
63/24	0.101
63/25	0.900
63/26	0.565
107/64/1	0.378
65/2/1	0.234
107/64/2	0.378
63/29	0.376
68/63	0.465
65/1	0.702
65/2/2	0.234
65/2/3	0.234
63/32	0.546
66	0.454

कुल योग : 9.070

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बोरदाखुर्द तालाब के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खिलचीपुर-जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 18921-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में

वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि

- (क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—खिलचीपुर
(ग) ग्राम—भोजपुर
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—12.684 हेक्टेयर.

खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
54	0.141
56	0.200
55	0.036
57	0.187
53	1.903
1044	0.555
52	1.024
51	0.666
25	0.610
48	0.044
49	1.088
547	0.340
542	0.046
1050	0.301
546	0.256
548	1.822
549	1.878
550	0.373
559	0.985
558	0.163
543	0.016
540	0.001
551	0.049

कुल योग : 12.684

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—जबलपुर-जयपुर मार्ग पर बार्डर चैकपोस्ट निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खिलचीपुर-जीरापुर एवं भू-अर्जन अधिकारी खिलचीपुर-जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.